VISIONIAS

www.visionias.in

Classroom Study Material

सामाजिक मुद्दे-I

October 2016 – June 2017

Note: July, August and September Material will be updated in September Last week.

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

विषय सूची

1. सुभेद्य समूहों से सम्बंधित मुद्दें ____ 3

1.1. महिलाओं से सम्बंधित मुद्दें ____ 3

1.1.1. कामकाजी महिलाओं से संबधित मुद्दें ____ 3

1.1.2. महिलाओं के प्रति भेदभाव ____ 10

1.1.3. महिलाओं के विरुद्ध अपराध ____ 21

1.1.4. अन्य सरकारी पहलें ____ 27

1.1.5 राष्ट्रीय महिला नीति, 2016 का मसौदा ____ 28

1.2. ट्रांसजेंडर समुदाय से सम्बंधित मुद्दे ____ 30

1.3. बच्चों से संबंधित मुद्दे ____ 32

1.3.1. बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना, 2016 ____ 33

1.3.2. बाल दत्तक ग्रहण ____ 34

1.3.3. बाल अपहरण ____ 35

1.3.4. बाल यौन शोषण ____ 36

1.3.5. बाल/किशोर अपराध ____ 38

1.3.6. बाल विवाह ____ 41

1.3.7. बाल श्रम ____ 44

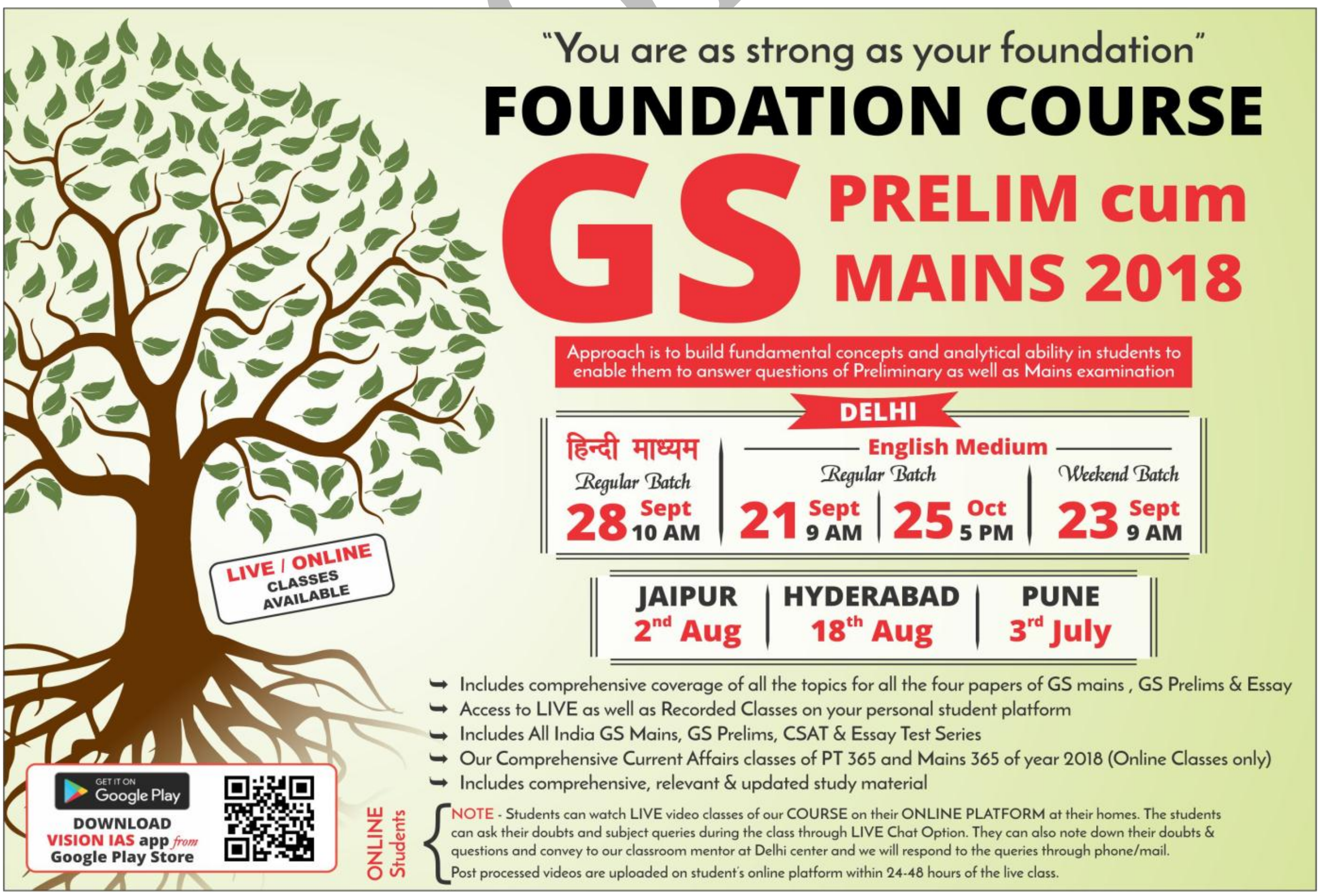

1. सुभेद्य समूहों से सम्बंधित मुद्दें

(ISSUES RELATED TO VULNERABLE SECTIONS)

1.1. महिलाओं से सम्बंधित मुद्दें

(Issues Related to Women)

1.1.1. कामकाजी महिलाओं से संबधित मुद्दें

(Working Women Issues)

1.1.1.1. मातृत्व लाभ

(Maternity Benefit)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में सरकार द्वारा मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017 को अधिसूचित किया गया। इसके द्वारा मातृत्व लाभ अधिनियम,1961 के तहत प्रदत मातृत्व अवकाश की अवधि एवं प्रयोज्यता से संबंधित कुछ प्रावधानों तथा कुछ अन्य सुविधाओं में संशोधन किया गया है।

मातृत्व अवकाश क्यों आवश्यक हैं?

- प्रारंभिक छः माह तक स्तनपान शिशु में रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण होते है। यह कदम शिशु मृत्यु दर को कम करेगा।
- इसके साथ ही WHO तथा केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशानिर्देशों में इस बात पर बल दिया गया है कि कम से कम छः माह के लिए बच्चे की पूरी देखभाल माँ के द्वारा ही की जानी चाहिए।
- संविधान का **अनुच्छेद-42** सभी कामकाजी महिलाओं को मातृत्व लाभों की गारंटी प्रदान करता है।

विधेयक की मुख्य विशेषताएं

- यह अधिनियम 10 या उससे अधिक व्यक्तियों को रोजगार देने वाले सभी संस्थानों पर लागू है।
- **मातृत्व अवकाश की अवधि**: अधिनियम के अनुसार प्रत्येक औरत 12 हफ्तों के मातृत्व लाभ की हकदार होती थी । प्रस्तावित संशोधन में यह अवधि बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दी गयी है।
- अधिनियम के अंतर्गत , इस मातृत्व लाभ का उपयोग डिलीवरी की अपेक्षित तारीख के छह सप्ताह से पहले नहीं किया जाना चाहिए। संशोधन में यह अवधि आठ सप्ताह कर दी गयी है।
- ऐसे मामले जिनमें किसी औरत के दो या दो से अधिक बच्चे हैं, में मातृत्व लाभ 12 सप्ताह के लिए दिया जाना जारी रहेगा। इसका उपयोग डिलीवरी की अपेक्षित तारीख से छह सप्ताह से पहले नहीं किया जा सकता है।
- **दत्तक और कमीशन माताओं के लिए मातृत्व अवकाश**: संशोधन के अनुसार निम्न स्थितियों में 12 सप्ताह का मातृत्व अवकाश प्रदान करने का प्रावधान है:
  - जब कोई औरत कानूनी तौर पर तीन महीने से कम उम्र के बच्चे को गोद लेती है;
  - जब कोई औरत **कमीशन** माँ (जिसने सरोगेसी के माध्यम से बच्चे को जन्म दिया हो)हो। **कमीशन** माँ को जैविक मां के रूप में परिभाषित किया गया है जो भ्रूण बनाने के लिए अपने अंडे का उपयोग करती है तथा उसे किसी दूसरी औरत में प्रत्यारोपित करती है।

VISION IAS

- **घर से काम करने का विकल्प**: विधेयक के एक प्रावधान में यह कहा गया है कि नियोक्ता अवकाश अवधि के दौरान भी घर से काम करने के लिए किसी महिला को अनुमति दे सकता है।
- **क्रेच(शिशु गृह) सुविधाएं**: विधेयक के प्रावधान अनुसार, 50 या इससे अधिक कर्मचारियों वाली प्रत्येक संस्था द्वारा एक निर्धारित दूरी के अंदर क्रेच की सुविधा प्रदान करवाना आवश्यक है।
- **मातृत्व अवकाश के अधिकार के बारे में महिला कर्मचारियों को सूचित करना**: विधेयक के एक प्रावधान के अंतर्गत संस्था द्वारा महिला कर्मचारी को उसकी नियुक्ति के समय उसके पास उपलब्ध मातृत्व लाभ के बारे में सूचित करना आवश्यक है।

श्व के अन्य देशों के प्रावधान ·

- ब्रिटेन में माता-पिता बच्चे के जन्म के बाद 12 माह का अवकाश प्राप्त कर सकते हैं।
- एशियाई देशों में, जापान माता-पिता में से प्रत्येक को एक वर्ष का अवैतनिक अवकाश प्रदान करता है। दक्षिण कोरिया माता-पिता दोनों को एक वर्ष तक के आंशिक भुगतान युक्त अवकाश की अनुमति देता है।
- यूरोप में बच्चे के जन्म पर माताओं को सामान्यतः 14 से 22 सप्ताह के बीच का वैतनिक अवकाश प्रदान किया जाता है।

संशोधन विधेयक की आलोचनात्मक समीक्षा

सकारात्मक पक्ष

- इस संशोधन में 26 सप्ताह के मातृत्व अवकाश का प्रावधान किया गया है जो ILO द्वारा निर्धारित 14 सप्ताह के न्यूनतम मानक से अधिक है। इससे मातृत्व अवकाश के लिए निर्धारित सप्ताहों की संख्या के सन्दर्भ में भारत की रैंकिंग में सुधार होगा।
- इन संशोधनों से संगठित क्षेत्र में काम करने वाली 18 लाख महिला कर्मचारियों को मदद मिलेगी।
- ये महिलाओं को उनके बच्चों का ख्याल रखने करने के लिए समय उपलब्ध कराने में भी मदद करेंगे और भारत में महिलाओं की श्रम शक्ति में भागीदारी की दर (WLFPR) में वृद्धि को सक्षम बनायेंगे।
- पर्याप्त मातृत्व अवकाश और आय सुरक्षा की अनुपस्थिति के कारण महिलाएं श्रमबल से विलग रहती हैं यह संशोधित अधिनियम महिलाओं को सम्बंधित सुरक्षा प्रदान करेगा।
- कानून द्वारा मातृत्व अवकाश अवधि 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करने से माँ और शिशु के मध्य भावनात्मक जुडाव को सुदृढ़ करने में सहायता प्राप्त होगी। इससे माँ स्तनपान कराने में भी अधिक सक्षम हो सकेंगी परिणामस्वरूप शिशु के पोषण स्तर एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता में सुधार होगा।

नकारात्मक पक्ष

- इस संशोधन के अंतर्गत माताओं की पहचान प्राथमिक देखभालकर्ता के रूप में की गई है किन्तु शिशु की देखभाल में पिता की भूमिका की उपेक्षा की गई है। अतः यह इस रूढ़िवादी लैंगिक भूमिका को ही मजबूती प्रदान करता है जिसमे कि पिता को नवजात बच्चे के साथ समय बिताने की आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त इसमें पितृत्व अवकाश के मुद्दे का कोई उल्लेख नहीं है
- इस संशोधन के तहत पुरुषों को शामिल नहीं किया गया है। अतः यह नियोक्ताओं द्वारा भिन्न कार्य परिस्थितियों के कारण महिलाओं की तुलना में पुरुषों को अधिक भुगतान करने की सम्भावना को उत्पन्न करता है। यह संविधान में निहित "समान कार्य के लिए समान वेतन" के निर्देशक सिद्धांत को भी कमजोर करता है।
- संशोधन में एकल पिता या ट्रांजेन्डर द्वारा बच्चा गोद लेने के प्रावधान को भी अनदेखा किया गया है।
- यह संशोधन नियोक्ताओं को महिला कार्यबल की भर्ती करने से भी रोक सकता है। जिससे मुक्त रोजगार बाजार में पुरुष कर्मचारियों के सापेक्ष महिला कर्मचारियों की कम मांग होगी तथा रोजगार के क्षेत्र में जेंडर गैप अधिक बना ही रहेगा।

VISION IAS

- संशोधन में नियोक्ता को मातृत्व अवकाश के दौरान महिला को पूर्ण वेतन का भुगतान करने का प्रावधान किया गया है। अतः 12 से 26 सप्ताहों तक मातृत्व अवकाश बढ़ने से महिलाओं के लिए उपलब्ध रोजगार अवसरों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसके द्वारा नियोक्ताओं की लागत में वृद्धि होगी, परिणामस्वरूप, श्रमिकों की भर्ती हेतु पुरुषों को प्राथमिकता दी जाएगी ।

पितृत्व अवकाश

- मातृत्व अवकाश की तर्ज पर पितृत्व अवकाश, पिता बनाने पर पुरुष कर्मचारियों को दिया गया वैतनिक या अवैतनिक अवकाश है।
- भारत में, सार्वजनिक क्षेत्र में 15 दिनों के पितृत्व अवकाश का प्रावधान है, जबकि निजी क्षेत्र में पितृत्व अवकाश के संबंध में कोई कानून नहीं है।

महत्व

- एकल परिवारों की बढ़ती संख्या के कारण शिशु की देखरेख में माता एवं पिता दोनों की सहभागिता आवश्यक हो गयी है।
- यह माता-पिता के साथ रिश्ते और अभिभावक के रूप में उनकी भूमिका के नजरिये को परिवर्तित करेगा।
- इसके द्वारा शिशु की देखरेख करने और इससे सम्बंधित अन्य अवैतनिक कार्यों के सन्दर्भ में लैंगिक संतुलन स्थापित होगा।
- यह महिलाओं की, गर्भावस्था के कारण, *कैरियर ब्रेक* लेने की परम्परा को कम करेगा।

चुनौतियाँ

- पितृत्व अवकाश के महत्व की समझ और जागरूकता की कमी।
- कर्मचारियों द्वारा दुरुपयोग किया जाने की सम्भावना।
- पुरुषों के लिए पितृत्व अवकाश लेने सम्बन्धी उलझन।

आगे की चुनौतियां

- दीर्घकालीन अवधि तक वैतनिक मातृत्व अवकाश के वित्तीय बोझ को पूरा करना छोटी कंपनियों के लिए चुनौतीपूर्ण होगा
- यह प्रावधान संगठित क्षेत्र तक ही सीमित हैं, इस प्रकार एक चौथाई से कम ही कामकाजी महिलाओं को इसका लाभ प्राप्त हो सकेगा
- मातृत्व अवकाश प्राप्त महिलाए नवजात शिशु के पोषण एवं देखरेख की अपेक्षा घरेलू काम पर अधिक समय व्यतीत करेंगी जिससे इस अधिनियम के उद्देश्य प्रभावित होगें।
- लंबे समय तक अवकाश पर रहने के कारण महिलाओं का कार्य संबंधी बदलावों से संपर्क टूट जाता हैं। अतः उनके दोबारा कार्य प्रारंभ करने पर, उनकी अपने सहकर्मियों से पिछड़ने की सम्भावना उत्पन्न होगी।

आगे की राह

- **सिंगापुर मॉडल**: यह संशोधन वित्तीय बोझ के कारण नियोक्ताओं को युवा विवाहित महिला कर्मियों की भर्ती करने से रोक सकता है इस चिंता को सिंगापुर मॉडल अपनाकर हल किया जा सकता है। सिंगापुर में, महिलाओं को 16 सप्ताह का मातृत्व अवकाश मिलता है, जिसमें नियोक्ता आठ हफ्तों के लिए भुगतान करता है और नियोक्ता को अगले आठ हफ्तों की क्षतिपूर्ति सरकार द्वारा की जाती है।
- बच्चों की देखभाल में पिता की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। रोजगार में समानता सुनिश्चित करने के लिए संशोधित अधिनियम को माता-पिता दोनों को शामिल किया जाना चाहिए। विभिन्न देशों में प्रचलित प्रावधानों के आधार पर वे अवकाश अवधि को साझा भी कर सकते हैं।
- इस संशोधन को असंगठित क्षेत्र में काम कर रही महिलाओं तक भी विस्तारित किया जाना चाहिए।

VISION IAS

- नियोक्ता को पुनः कार्य प्रारंभ कर रही महिलाओं को प्रारंभिक हफ़्तों में कम कार्यभार, लचीला या कम काम के घंटे अथवा घर से कार्य करने की अनुमति देनी चाहिए। इससे उन्हें फिर से हताश हुए बिना काम को गति देने मे सहायता मिलेगी।

1.1.1.2 निम्न महिला श्रम बल भागीदारी दर

(Low LFPR)

प्राप्त परिणाम

- **इंटरनेशनल मोनेटरी फण्ड वर्किंग पेपर :-** उभरते बाजारों और विकासशील देशों में भारत की महिला श्रमबल भागीदारी(female labour force participation: FLFP) दर न्यूनतम है।
- FLFP को उन महिलाओं की हिस्सेदारी के रूप में मापा जाता है जो या तो कार्यरत हैं या कामकाजी आयुवर्ग की महिला जनसंख्या के हिस्से के रूप में कार्य प्राप्त करने का प्रयास कर रही हैं।

जनगणना 2011

- संगठित क्षेत्र में कुल महिला श्रमबल का 20.5% कार्यरत था। इसमें से 18.1% महिलाएं सार्वजनिक क्षेत्र में जबकि 24.3% निजी क्षेत्र में कार्यरत थीं।
- सभी आयु समूहों में महिलाओं की कुल श्रम बल में भागीदारी दर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में क्रमशः 25.3 और 15.5 प्रतिशत थी जबकि पुरुषों के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में यह क्रमशः 55.3 और 56.3 प्रतिशत थी।

- कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में समग्र कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी विषमतापूर्ण (skewed) है। उदाहरण के लिए-
  - **असंगठित क्षेत्र-** 90% भारतीय श्रमिक असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं। इस क्षेत्र में न सिर्फ महिलाओं को प्राप्त होने वाला पारिश्रमिक कम है अपितु सुविधानुसार कार्य करने की स्वतंत्रता, बच्चों की देखभाल के लिए आवश्यक समय तथा मातृत्व अवकाश की अनुपलब्धता भी है। यही कारण है कि महिलाएँ घरों से बाहर काम की तलाश के लिए प्रेरित नहीं हो पाती हैं।
  - **विनिर्माण और सेवाएँ-** महिलाओं को प्राप्त कुल ग्रामीण रोजगार में इस क्षेत्र का योगदान मात्र 18 प्रतिशत है।
  - **कृषि- महिलाओं को प्राप्त** रोजगार में 75 प्रतिशत भागीदारी के साथ यह एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्रक है।
  - **ब्लू कॉलर नौकरियाँ (अकुशल कार्य)-** महिलाओं के लिए जहाँ ब्लू कॉलर नौकरियों में अवसर कम हुए हैं वहीं वाइट कॉलर नौकरियों में उन्हें प्राप्त अवसरों में वृद्धि हुई है।

निम्न श्रम बल भागीदारी के कारण:

- **पुरुषों की बढ़ती आय-** परिवार में जब पुरुष अधिक आय अर्जित करने लगते हैं तो महिलाओं के घरेलू गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के कारण औपचारिक अर्थव्यवस्था में उनकी भागीदारी कम हो जाती है।
- **जाति एक निर्णायक तत्त्व के रूप में-** कुछ समुदायों खासकर कुछ उच्च जातियों में घर से बाहर महिलाओं के काम करने को निंदनीय माना जाता है विशेषकर यदि कार्य पारंपरिक रूप से निम्नस्तरीय माना जाने वाला हो। यदि परिवार के पुरुष सदस्य परिवार के लिए आवश्यक सभी व्ययों का बोझ उठाने में सक्षम हों तो महिलाओं को पारिवारिक और सामाजिक दबावों के कारण रोजगार छोड़ना पड़ता है।
- **कार्यस्थल पर सुरक्षा के मुद्दे और उत्पीड़न-** भारत जैसे विकासशील देशों में महिलाएँ कार्यस्थल पर शोषण और उत्पीड़न के सन्दर्भ में अधिक सुभेद्य हैं। वे उत्पीड़न के खिलाफ प्रभावी रूप से लड़ने में भी असमर्थ हैं।
- माध्यमिक विद्यालयों में कामकाजी आयुवर्ग की महिलाओं का नामांकन बढ़ रहा है।
- देश में आर्थिक विकास की प्रकृति ऐसी है कि उन क्षेत्रों में बड़ी संख्या में नौकरियाँ उत्पन्न नहीं हो रही हैं जोकि विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के श्रमबल को आसानी से अवशोषित कर सकें।

कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी में कैसे वृद्धि की जाये?

- माध्यमिक और उच्च शिक्षा में लिंग अंतराल को कम करना।
- पुरुष प्रधान क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित करना।
- प्रमुख क्षेत्रों में महिलाओं हेतु आवश्यक कौशल प्रशिक्षण सुनिश्चित करना।
- महिला उद्यमियों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए वित्तीय क्षेत्र तक उनकी पहुँच में वृद्धि करना।
- निजी क्षेत्र के संगठनों में लैंगिक विविधता सम्बन्धी नीतियों और परम्पराओं को बढ़ावा देना।
- महिलाओं के लिए कानूनी प्रावधानों को सुदृढ़ बनाकर इन कानूनों को लागू करना।
- बुनियादी ढांचे में सुधार करना।
- श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी के सम्बन्ध में सामाजिक अभिवृत्तियों और विश्वासों को पुनः आकार देना।
- बिहार सरकार द्वारा औपचारिक क्षेत्र में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया है। इस नीति को राष्ट्रीय स्तर पर अपनाया जा सकता है।

1.1.1.3. वेतन असमानता

(Wage Disparity)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत में ऑनलाइन सेवा प्रदाता 'मॉन्स्टर' (Monster) द्वारा हाल ही में जारी **वेतन सूचकांक रिपोर्ट** (Salary Index Report) में वेतन में लैंगिक अंतर पर प्रकाश डाला गया है।

Image : The Hindu

रिपोर्ट के निष्कर्ष

- लैंगिक वेतन अंतराल 27% तक है।
- पुरुषों को औसत सकल प्रति घंटा 288.68 रुपये वेतन मिलता है जबकि महिलाओं के लिए यह वेतन करीब 207.85 रूपए है।
- **<u>क्षेत्रवार विश्लेषण</u>**
- विनिर्माण क्षेत्र में लैंगिक वेतन अंतराल सबसे ज्यादा (34.9%) है।
- यह बैंकिंग, वित्तीय सेवा और बीमा, परिवहन, लॉजिस्टिक तथा संचार में सबसे कम (17.7%) है।
- आईटी सेवा क्षेत्र में 34% का एक बड़ा लैंगिक वेतन अंतराल है।

वेतन में लैंगिक अंतर के पीछे कारण

- महिला कर्मचारियों के बजाए पुरुष कर्मचारियों को तरजीह।
- पर्यवेक्षी या प्रबंध-संबंधी पदों के लिए पुरुष कर्मचारियों की पदोन्नति।
- **मातृत्व कर्तव्यों और अन्य सामाजिक-सांस्कृतिक कारकों** की वजह से महिलाओं के **कैरियर में रुकावट**।

VISION IAS

- नम्य कार्य नीतियों या विस्तारित अवकाश का अभाव।
- **पुरुष प्रभुत्व वाले क्षेत्रों में अवसरों की कमी** - पुरुष प्रधान क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी अत्यधिक कम है, उदाहरणस्वरूप सशस्त्र बलों में।
- महिलाओं द्वारा किए गए देखभाल के कार्य को अपेक्षाकृत कम महत्व दिया जाता है क्योंकि इसे कौशल की बजाए उनके प्राकृतिक गुण के रूप में देखा जाता है।
- इसके अतिरिक्त महिलाओं को *'ग्लास सिलिंग इफ़ेक्ट'* का भी सामना करना पड़ता है, अर्थात् उन्हें एक ऐसी अदृश्य बाधा का सामना करना पड़ता है जो उन्हें संगठन में उच्च पदों तक पहुंचने से रोकता है।

आगे की राह

- डिजिटल फ्लुएंसी, कैरियर स्ट्रेटेजी और टेक इमर्शन जैसे तीन शक्तिशाली त्वरक महिलाओं के वैतनिक-अंतर (PAY GAP) को कम करने में सहायक हो सकते हैं।
- सशक्त श्रम बाजार संस्थान और सामूहिक सौदेबाजी एवं न्यूनतम मजदूरी जैसी नीतियां भी मजदूरी के अंतर को कम कर सकती हैं।

1.1.1.4. महिलाओं की युद्धक भूमिका

(Women in Combat Role)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

हाल ही में भारत ने घोषणा की है कि सेना के सभी भागों- थल सेना, नौ सेना तथा वायु सेना में महिलाओं को युद्धक भूमिकाओं में सम्मिलित होने की अनुमति दी जाएगी। विश्व के सर्वाधिक पुरुष वर्चस्व वाले पेशे में **लैंगिक समानता** लाने हेतु यह एक क्रांतिकारी कदम होगा। ध्यातव्य है कि अमेरिका, इजरायल सहित विश्व के सभी देशों में जहां भी महिलाओं को सशस्त्र बलों में युद्धक भूमिका प्रदान की गयी है, उन देशों में यह कार्य क्रमिक रूप से ही संपन्न हुआ है। अतः महिलाओं को सशस्त्र बलों में युद्धक भूमिका प्रदान करने की भारतीय प्रक्रिया भी इन्हीं वैश्विक परम्पराओं के अनुरूप है।

चिंताएं:

- सैन्यबलों में महिलाओं की **सुरक्षा** और गरिमा को सुनिश्चित करने से सम्बन्धित चिंताएं।
- दृष्टव्य है कि सैन्यबलों से संबंधित न्यायाधिकरण की संरचना में भी **पुरुषों का वर्चस्व** रहा है, इन परिस्थितियों में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के मामलों में समुचित कार्यवाही को लेकर आशंकाएं बनी हुई हैं।
- शत्रु द्वारा पकड़े जाने की स्थिति में तथा अंग्रिम पंक्ति पर तैनाती से उत्पन्न दबावों का सामना करने में महिलाओं की शारीरिक और मानसिक क्षमता संबंधी चिंता।
- लैंगिक समानता के विषय को केवल राजनीतिक हथकंडे के रूप में प्रदर्शित नहीं किया जाना चाहिए। महिलाओं को उनकी योग्यता के अनुसार मान्यता दी जानी चाहिए ताकि उन्हें अपनी सेवाओं में संतुष्टि मिल सके। यह उन्हें कड़ी मेहनत के लिए प्रेरित करेगा और आलोचकों को शांत करने मे मदद करेगा।

इस निर्णय का औचित्य:

- सेना की सरंचना नीति 'देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने' के एकमात्र उद्देश्य से प्रेरित होनी चाहिए। लिंग की परवाह किये बिना उन्हें सर्वश्रेष्ठ और सबसे योग्य व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। इसलिए रिसोर्स पूल को आधी जनसंख्या तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए।
- महिलाओं को सम्मिलित न किये जाने के पीछे मुख्य तर्क है- इसमें प्रयुक्त होने वाली क्रूर हिंसा। द्रष्टव्य है कि **आधुनिक युद्ध परिदृश्य में** परिष्कृत शस्त्रों के प्रयोग तथा गुप्त सूचनाओं को एकत्रित करने के साथ ही साइबर दुनिया में युद्ध लड़े जाते हैं। अतः स्वाभाविक रूप से इस प्रकार की हिंसा या शक्ति प्रयोग की आवश्यकता अब नहीं रह गयी है।

- तकनीकी विकास क्रम में सिमुलेशन जैसी तकनीकों के आ जाने के कारण महिलाओं को युद्धकला के किसी विशेष क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली संभावित चुनौतियों का सामना करने के लिए मोड्यूलर ट्रेनिंग प्रदान की जा सकती है।
- अंततः देश को अपनी सेवाएं समर्पित करने के इच्छुक किसी व्यक्ति के लिए उसकी लैंगिक पहचान बाधक नहीं होनी चाहिए। जो महिलाएं इन चुनौतियों से अवगत हैं और फिर भी इन सेवाओं में सम्मिलित होने के लिए तैयार हैं उन्हें रोका नहीं जाना चाहिए।

आगे की राह

- देश की सुरक्षा से जुड़ी सभी चिन्ताओं पर निष्पक्ष रूप से विचार किया जाना चाहिए।
- इसलिए, सेवाओं में महिलाओं को सम्मिलित करने की सम्पूर्ण अवधारणा पर एक समग्र और वस्तुपरक ढंग से विचार किया जाना आवश्यक न कि केवल लैंगिक समानता के परिप्रेक्ष्य में।
- पुरुष और महिला सैनिकों, दोनों के निरंतर और आवधिक प्रदर्शन परीक्षण (पीरियाडिकल परफॉरमेंस ऑडिट) के आधार पर ही महिलाओं का क्रमिक रूप से सेना में समेकन होना चाहिए।

1.1.1.5. कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न

(Sexual Harassment at Workplace)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

- हाल ही में कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के कार्यान्वयन पर एक समीक्षा बैठक आयोजित की गयी।
- इस दौरान यह परिलक्षित हुआ कि इस अधिनियम को लागू करने के तरीके एवं कार्यान्वयन के नतीजे के मामले में कई कमियाँ थीं।
- इस अधिनियम में सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1997 में दिए गये निर्णय (जिसे विशाखा गाइड लाइन के नाम से जाना जाता है) को शामिल किया गया है। इस निर्णय में नियोक्ता द्वारा कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न के मापदंड को तय करने की आवश्यकता को प्रदर्शित किया गया है।

कार्यान्वयन के मुद्दे

- 70% महिलाएं अपने वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किये गए यौन उत्पीड़न की रिपोर्ट नकारात्मक प्रतिक्रिया के भय से दर्ज नहीं करवाती हैं।
- 2015 में किये गये एक शोध के अनुसार, 36% भारतीय कंपनियों और 25% बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा अभी तक आंतरिक शिकायत समिति (Internal Complaints Committee: ICC) का गठन नहीं किया गया है, जबकि अधिनियम के अंतर्गत इस समिति का गठन अनिवार्य है।
- अदालत में लंबे समय तक मामलों के लंबित रहने के कारण पीड़ित की समस्याओं में वृद्धि होती है।
- अधिनियम में इस बात का उत्तरदायित्व तय नहीं किया गया है कि कार्य स्थल पर अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रभारी कौन होगा।

बेहतर कार्यान्वयन के लिए प्रस्तावित कदम

- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी की अध्यक्षता में एक **अंतर-मंत्रालयी समिति** की स्थापना की जाएगी।
- यह समिति यौन उत्पीड़न की शिकायतों के निपटान की प्रगति की समीक्षा तथा एक मानकीकृत प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार करेगी।
- समिति यह भी सुनिश्चित करेगी कि सभी मंत्रालयों/विभागों की आंतरिक शिकायत समिति (Internal Complaints Committee: ICC) के प्रमुखों को शिकायतों के **बेहतर निपटारे को सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षण** दिया जाए।
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा इस अधिनियम के तहत सरकार की किसी भी महिला कर्मचारी की शिकायत दर्ज करने के लिए एक सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक मंच की स्थापना की जाएगी।

VISION IAS

- यह अधिनियम के तहत एक पारदर्शी एवं अनुवीक्षण योग्य शिकायत निवारण तंत्र को सक्षम बनाएगा।
- प्राप्त शिकायतों, उनके निपटान तथा लंबित मामलों एवं कार्यवाहियों की संख्या पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को मासिक रिपोर्ट देना।
- यह भी निर्णय लिया गया कि अधिनियम में निहित एक महिला अधिकारी के अधिकारों और ICC की जिम्मेदारियों के विषय में मंत्रालयों/विभागों/संलग्न कार्यालयों की वेबसाइटों सहित विभिन्न तरीकों के माध्यम से पर्याप्त प्रचार किया जाना चाहिए।

यौन उत्पीड़न अधिनियम के प्रावधान

- यह अधिनियम सभी आयु वर्ग और रोजगार स्तर से सम्बंधित महिलाओं को शामिल करते हुए '**पीड़ित महिला**' की परिभाषा को विस्तृत रूप से व्याख्यायित करता है। इसके अंतर्गत क्लाइंट्स , ग्राहक तथा घरेलू कामगारों को भी शामिल किया गया है।
- इसमें '**कार्यस्थल**' के अर्थ को विस्तृत करते हुए पारंपरिक कार्यालयों के साथ अन्य सभी प्रकार के संगठनों को भी शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त यह गैर-पारंपारिक कार्यस्थल (उदाहरण के लिए दूरसंचार के क्षेत्र में शामिल) और कर्मचारियों द्वारा कार्य के लिए दौरा किये गये कार्यस्थल को भी शामिल करता है।
- यह '**आंतरिक शिकायत समिति**' (ICC) के गठन को अनिवार्य बनाता है तथा किसी संगठन द्वारा ICC का गठन नहीं किये जाने पर उचित कार्रवाई का प्रावधान भी करता है। इसमें प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर पूरे वर्ष के दौरान की गई शिकायतों की संख्या और कार्रवाई की संख्या की लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

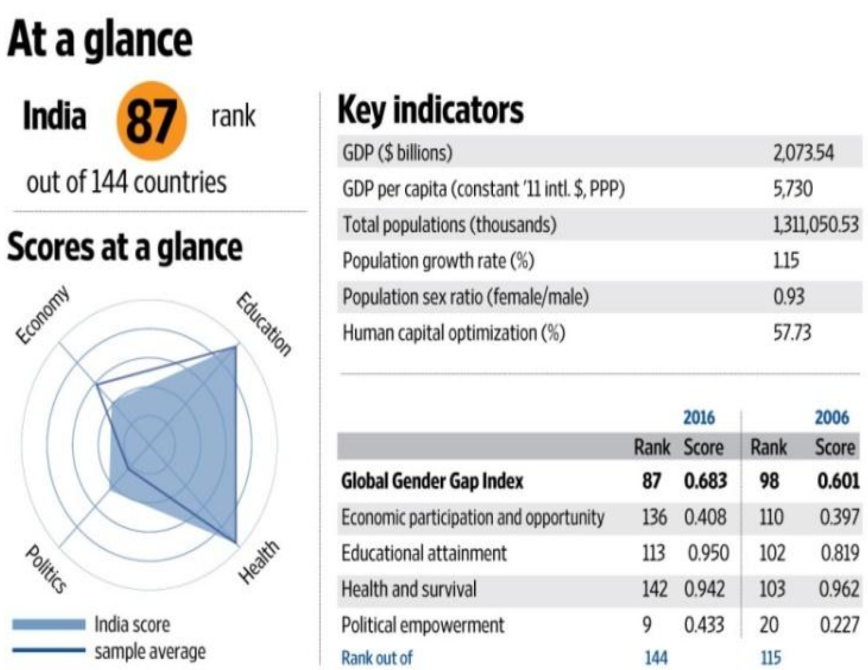

- इस अधिनियम द्वारा **नियोक्ता के कर्तव्यों** की सूची भी जारी की गई है, जैसे अधिनियम के बारे में कर्मचारियों को शिक्षित करने के लिए नियमित कार्यशालाओं और जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करना।
- यदि नियोक्ता ICC का गठन करने में विफल रहता है या अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान का पालन नहीं करता है, तो उन्हें **50,000 रुपये का जुर्माना** देना होगा। यदि अपराधी दोबारा वही अपराध दोहराता है, तो दंड दोगुना हो जाता है। दूसरी बार किये गए अपराध में उसके लाइसेंस को रद्द करने या रीन्यू (renew) न करने का प्रावधान भी किया गया है।

1.1.2. महिलाओं के प्रति भेदभाव

[Discrimination Against Women]

भारत ने विश्व आर्थिक मंच (WEF) द्वारा जारी *ग्लोबल जेन्डर गैप इंडेक्स* में अपने प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार करते हुए 87वां स्थान प्राप्त किया। गत वर्ष इस सूचकांक में भारत 108 वें पायदान पर था।

- भारत ने जेंडर गैप (लैंगिक अन्तराल) को 2% तक कम किया गया है। इंडेक्स हेतु निर्धारित चारों मानकों के अनुसार अब यह गैप 68 फीसदी है।

- हालांकि शिक्षा क्षेत्र में सुधारों के सन्दर्भ में उपलब्धि महत्वपूर्ण रही है। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में अन्तराल को पूरी तरह से समाप्त कर लिया गया है।
- भारत उन देशों में से भी एक है, जिन्होंने महिलाओं की शिक्षा में महत्वपूर्ण निवेश किया है। परन्तु कार्यक्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बाधित करने वाली परिस्थितियों का समाधान नहीं हो पाया है।

1.1.2.1. बाल लिंगानुपात (CSR) की घटती दर

(Declining CSR)

2011 की जनगणना के अनुसार बाल लिंगानुपात (CSR) में गिरावट दर्ज की गयी है। 2001 में प्रति 1000 बालकों की तुलना में बालिकाओं की संख्या 927 थी जो 2011 में गिरकर प्रति 1000 बालकों की तुलना में केवल 918 बालिकाएं ही रह गयी हैं। इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण कारण उत्तरदायी है:

- **लिंग चयन (Sex selection):** यह भारत में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए एक उपाय के रूप में अपनाया गया था। हालांकि वर्तमान में बच्चे के लिंग का निर्धारण करने के लिए इसका दुरुपयोग किया जा रहा है।
- **कन्या भ्रूण हत्या (Female foeticides):** विगत 25 वर्षों में जन्म से पहले भ्रूण के निर्धारण के कारण 15 मिलियन से अधिक बालिकाओं की मृत्यु हुई है।

चुनौतियां :

- आज भी भारत में पितृसत्तात्मक मानसिकता व्याप्त है, जिसके कारण बेटी की अपेक्षा बेटे को अधिक वरीयता दी जाती है।
- राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली आदि राज्यों में स्थित अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर गैर-कानूनी प्रक्रियाओं का विस्तार हुआ है। यहां कुछ लाभ के बदले माता-पिता को भ्रूण के लिंग की सूचना प्रदान किए जाने संबंधी गतिविधियों में वृद्धि हुई है।
- लेकिन इन चुनौतियों के होते हुए भी इस दिशा में सरकार द्वारा किए गए प्रयासों में कमी नहीं आई है।
- इस दिशा में सरकार के कुछ पहल इस प्रकार है:

कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देश:

सर्वोच्च न्यायलय द्वारा कन्या भ्रूण हत्या से संबंधित अपराधों की रोकथाम के लिए कई दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। पिछले 21 वर्षों में अधिनियम के उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ लगभग 3,000 मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि इससे संबंधित आधा बिलियन (half a billion) चिकित्सीय अपराध सामने आए हैं।

- **एक केंद्रीकृत डेटाबेस रखना-** भारत में सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशो द्वारा सभी पंजीकरण इकाइयों से नागरिक पंजीकरण रिकॉर्ड का एक केंद्रीकृत डेटाबेस तैयार किया जाएगा ताकि वेबसाइट द्वारा बालकों और बालिकाओं के जन्म के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई जा सके।
- **फास्ट ट्रैक कोर्ट-** जिन न्यायालयों द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत शिकायतों की सुनवाई की जा रही है, उन्हें फ़ास्ट ट्रैक का दर्जा प्रदान किया जाएगा तथा संबंधित उच्च न्यायालय इस सन्दर्भ में उचित दिशानिर्देश जारी करेंगे।
- **तीन सदस्यीय समिति:** उच्च न्यायालय के तीन न्यायधीशों की एक समिति का गठन किया जाएगा जिसके द्वारा समय-समय पर मामलों की समीक्षा की जाएगी।
- पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन का प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 {Pre-conception and Pre-natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994} (PCPNDT act) का प्रभावी कार्यान्वयन।
- **जागरूकता अभियान-** अधिनियम के प्रावधानों के साथ-साथ सामाजिक जागरूकता अभियान शुरू किया जाएगा।
- विभिन्न राज्यों में **ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन** के माध्यम से कन्याओं को बचाने से संबंधित प्रचार कार्य किये जा रहे हैं तथा कन्या भ्रूण हत्या से समाज को होने वाले गंभीर खतरों से लोगों को अवगत कराया जा रहा है।

VISION IAS

- **प्रोत्साहन योजनाएं-** जिन राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में बालिकाओं के लिए कोई प्रोत्साहन योजना नहीं है, उन्हें संबंधित योजनाएँ लागू करने संबंधी निर्देश दिए गए हैं।

प्रसव पूर्व लिंग की जाँच

सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में सरकार को एक केन्द्रीय एजेंसी के गठन का निर्देश दिया है जिसके द्वारा सर्च इंजनों की निगरानी एवं उन्हें निर्देश देते हुए ऑनलाइन प्रसव पूर्व लिंग जाँच संबंधी विज्ञापनों पर नियंत्रण रखा जाएगा।

बाल लिंग अनुपात में गिरावट की रोकथाम के लिए की गयी पहल :

- बेटी बचाओं बेटी पढाओ योजना
- सुकन्या समृद्धि योजना
- पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन का प्रतिषेध) अधिनियम, 1994
- आंध्र प्रदेश सरकार की गर्ल चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम (Girl Child Protection Scheme)
- हरियाणा सरकार द्वारा "आपकी बेटी, हमारी बेटी" योजना
- राजस्थान सरकार की आश्रय योजना
- तमिलनाडु सरकार की शिवगामी अम्मायायार मेमोरियल कन्या संरक्षण योजना
- बिहार सरकार की मुख्य मंत्री कन्या सुरक्षा योजना

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

- आंगनवाड़ी केंद्रों में पहली तिमाही में गर्भधारण के पंजीकरण को बढ़ावा देना
- हितधारकों का प्रशिक्षण
- सामुदायिक सहयोग और संवेदीकरण
- जेंडर समर्थको की भागीदारी
- संस्थानों को मान्यता और फ्रंटलाइन श्रमिकों को पुरस्कार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

- पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन का प्रतिषेध) अधिनियम (1994) के क्रियान्वयन का निरीक्षण
- संस्थागत प्रसव में वृद्धि करना
- जन्म का पंजीकरण

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

- बालिकाओं का सार्वभौम नामांकन
- स्कूल छोड़ने की दर को कम करना
- स्कूलों में कन्याओ के साथ अनुकूल व्यवहार का निर्धारण
- शिक्षा का अधिकार (आरटीई) का सशक्त कार्यान्वयन
- बालिकाओं के लिए कार्यात्मक शौचालय का निर्माण

किये गए प्रयासों के बारे में:

- पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन का प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 को ध्यान में रखते हुए कई कदम उठाए गए हैं जिसमें स्पष्टत: कहा गया है कि भारत में किसी भी प्रकार से किसी को भी लिंग चयन की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- नोडल एजेंसी टीवी, रेडियो और अखबारों में विज्ञापन देगी कि यदि कोई भी पूर्व प्रसव की अवस्था में लिंग पहचान करने का प्रयास करे , तो उसे नोडल एजेंसी के ध्यान में लाया जाना चाहिए।

VISION IAS

- ऐसी सूचना मिलने या संसूचित होने के पश्चात् एजेंसी संबंधित सर्च इंजन को सूचित करेगी और सूचना प्राप्त करने के बाद सर्च इंजन इसे 36 घंटे के भीतर हटाने और नोडल एजेंसी को सूचित करने के लिए बाध्य हैं।

बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं

लिंग अनुपात में तीव्र गिरावट के कारण भारत सरकार ने 100 लिंग संवेदनशील जिलों में CSR में गिरावट को कम करने के उद्देश्य से "बेटी बचाओं बेटी पढाओं" (BBBP) कार्यक्रम शुरू किया है। इस योजना का समग्र लक्ष्य है कि कन्याओं के जन्म के समय खुशियाँ मनाई जाए एवं उनको उचित शिक्षा प्रदान किया जाए।

योजना के दो प्रमुख घटक हैं:

- जन संचार अभियान एवं
- सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को शामिल करते हुए प्रतिकूल CSR वाले 100 चयनित जिलों (एक पायलट योजना के रूप में) में बहु-क्षेत्रीय कार्यवाही

जन संचार अभियान

- इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कन्याओं का जन्म, पोषण एवं शिक्षा बिना भेदभाव के हो, जिससे वे इस देश की सशक्त नागरिक बन सकें।
- यह इन 100 जिलों में सामुदायिक स्तर की कार्रवाई के साथ राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर तक किए जाने वाले हस्तक्षेपों को एकीकृत करता है, ताकि त्वरित प्रभाव के लिए अलग-अलग हितधारकों को एक साथ लाया जा सके।

हरियाणा में किये गए सुधार :

- पिछले 2 दशकों में पहली बार हरियाणा में जन्म के समय लिंग अनुपात (एसआरबी) 900 अंक से अधिक हुआ है । दिसंबर 2016 में एसआरबी 914 दर्ज किया गया था।
- एसआरबी प्रति हजार लड़कों पर लडकियों की संख्या का उल्लेख करती है।
- जनगणना 2011 के अनुसार, राष्ट्रीय औसत 943 की तुलना में इसका लिंग अनुपात प्रति हज़ार पुरूषों पर 877 महिलाएं के निम्न स्तर पर रहा।
- इस राज्य में राष्टीय औसत की ·तुलना में सभी राज्यों में सबसे कम बाल लिंग अनुपात (0 -6 वर्ष) दर्ज किया गया है।
- विभिन्न योजनाओं के अभिसरण और,बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ , पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (PCPNDT) अधिनियम,, आपकी बेटी हमारी बेटी योजना , हरियाणा कन्या कोष, गीता फोगाट एवं बबिता फोगाट को खेलों में देश का नाम रोशन करने के लिए प्रोत्साहन जैसे कार्य किये गए है।
- जिससे यह 100 जिलों में सामुदायिक स्तर पर राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर को जोड़ता है तथा त्वरित कार्यवाही हेतु विभिन्न भागीदारों को एक साथ लाने का प्रयास कर रहा है।

बहु-क्षेत्रीय हस्तक्षेप :

- कन्याओं के अस्तित्व, संरक्षण और शिक्षा को सुनिश्चित हेतु स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) और मानव संसाधन मंत्रालय (MoHRD) के साथ समायोजन कर समन्वित एवं सम्मिलित प्रयास किए जा रहे हैं।
- जिला स्तर पर BBBP के क्रियान्वयन के लिए जिला कलेक्टर / डिप्टी कमिश्नर (डीसी) सभी विभागो के कार्यों को समन्वित कर मार्गदर्शन प्रदान कर रहे है।

VISION IAS

आगे की राह

- यही उचित समय यह समझने का कि कोई भी समाज तब तक समृद्ध नहीं बन सकता जब तक कि उसकी आधी आबादी के साथ भेदभाव व्याप्त हो।
- डॉक्टरों, अकुशल चिकित्सकों और अवैध अल्ट्रासाउंड केंद्रों के बीच होने वाले सांठगाठ को समाप्त करने के लिए अंतर-राज्यीय समन्वय की आवश्यकता है।
- बालिकाओं की शिक्षा तथा बालकों के साथ समानता के प्रोत्साहन से भविष्य में उच्च लिंग अनुपात के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

1.1.2.2. मातृ/ नवजात स्वास्थ्य

(Maternal/Neo-Natal Health)

मातृ स्वास्थ्य पर प्रकाशित नवीनतम लैंसेट श्रृंखला से पता चलता है कि दुनिया भर में अभी भी लगभग एक चौथाई बच्चे किसी कुशल जन्म सहायक परिचर (skilled birth attendant) की अनुपस्थिति में पैदा होते हैं। वर्ष 2015 में कुल मातृ मृत्यु में से एक तिहाई भारत और नाइजीरिया इन दो देशों में हुई है।

भारत में मातृत्व मृत्यु

- भारत में गर्भावस्था या प्रसव के दौरान 45,000 महिलाओं (15 प्रतिशत) की मृत्यु हो जाती है जबकि नाइजीरिया मे मातृत्व मृत्यु की यह संख्या सर्वाधिक 58,000 (19 प्रतिशत) है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार भारत का **MMR**, 1990 में 560 से कम होकर 2010-2012 में 178 हो गया। हालांकि, MDG के अधिदेश के अनुसार भारत को इसे कम करते हुए 103 के स्तर पर लाने की आवश्यकता है।

भारत में उच्च मातृत्व मृत्यु दर (Maternal Mortality Rate: MMR) के कारण

- **संस्थागत प्रसव:** NFHS III के अनुसार 2005-06 में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में संस्थागत प्रसव की दर क्रमश: 28.9% और 67.5% थी।
- **महिलाओं को प्रसव पूर्व देखभाल न मिलना:** सर्वेक्षण के पिछले तीन वर्षों के आंकड़ों के अनुसार भारत में प्रत्येक तीन में से एक से अधिक महिलाओं (34%) की प्रसव पूर्व जांच नहीं हुई थी। केवल 7% महिलाओं की गर्भकाल की तीसरी तिमाही में प्रसव पूर्व जांच हुई।
- प्रसव के बाद देखभाल की अत्यधिक कमी है।
- **किशोर गर्भावस्था और मृत्यु का खतरा:**
    - बाल विवाह निरोधक अधिनियम (1978) के बावजूद, कुल महिलाओं में से 34 प्रतिशत का विवाह कानूनी रूप से न्यूनतम आयु (18 वर्ष) से नीचे कर दिया जाता है;
    - 15-19 वर्ष की आयु वर्ग की लड़कियों की प्रसव के कारण मृत्यु होने की संभावना, 20 वर्ष से ऊपर आयुवर्ग की महिलाओं की तुलना में दोगुनी होती है; जबकि 15 वर्ष की उम्र की लड़कियों में यह संभावना पांच गुनी होती है।

महिलाओं में गर्भावस्था देखभाल के महत्व और प्रसव/संस्थागत प्रसव के बारे में **जागरूकता की कमी** है (स्वास्थ्य शिक्षा का अभाव)।

- **महिलाओं के निर्णय लेने की शक्ति का अभाव:** परिवार के भीतर निर्णय लेने की शक्ति महिलाओं को नहीं दी जाती (लिंग पूर्वाग्रह)।
- **स्वास्थ्य सेवाओं की अवस्थिति के बारे में जागरूकता का अभाव** (स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता की कमी)।
- **लागत:** प्रत्यक्ष फीस के साथ ही परिवहन, दवाओं और आपूर्तियों की लागत (गरीबी)।
- **स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं द्वारा ख़राब उपचार** सहित सेवाओं की खराब गुणवत्ता भी कुछ महिलाओं को सेवाओं का उपयोग करने के लिए अनिच्छुक बना देती है।

VISION IAS

समाधान

- प्राथमिक स्तर पर एक बेहतर, जवाबदेह स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की आवश्यकता है ताकि वांछित स्तर तक मातृ मृत्यु दर को कम किया जा सके।
- महिलाओं को नजदीक के स्थान पर प्रसव पूर्व, प्रसव के दौरान और प्रसव के बाद सेवाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इसके लिए अस्पतालों को एक आपातकालीन परिवहन और अच्छी रेफरल प्रणाली के नेटवर्क से जोड़ने की जरूरत है।
- कुशल परिचर, नर्सों या डॉक्टरों द्वारा प्रसव सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- विशेष रूप से मातृ मृत्यु के प्रमुख कारणों की ओर निर्देशित परिधीय / ग्राम स्तर के हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

जननी सुरक्षा योजना

जननी सुरक्षा योजना (JSY) का शुभारम्भ **संस्थागत प्रसव** (अस्पतालों में प्रसव) को प्रोत्साहन प्रदान कर मातृ और नवजात स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM) के एक भाग के रूप में वर्ष **2005** में किया गया था।

- जननी सुरक्षा योजना (JSY) एक 100% केन्द्र प्रायोजित योजना है एवं इसमें प्रसव के दौरान एवं प्रसवोपरांत देखभाल के लिए **नकद सहायता** समाविष्ट होती है।
- इसे इस योजना के अंतर्गत सरकार और गरीब गर्भवती महिलाओं के बीच प्रभावी कड़ी के रूप में कार्य करने वाली **आशा** (ASHA) अर्थात मान्यता-प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है।

इस योजना के अंतर्गत **अस्पतालों में प्रसव का चयन करने वाली गर्भवती महिलाओं और उन्हें ऐसा निर्णय लेने के लिए प्रेरित करने वाले कार्यकर्ता को नकद प्रोत्साहन प्रदान किया जाता हैं।** इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में महिला को 1400 रुपये और आशा कार्यकर्ता को 600 रुपये एवं शहरी क्षेत्र में क्रमश: 1,000 रुपये और 200 रुपये प्राप्त होते हैं।

यह सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को कम करने में किस प्रकार सहायता करती है:

- सर्वप्रथम, इन दोनों दौर के बीच निरक्षर या कम शिक्षित और निर्धन महिलाओं के बीच तीनों मातृ स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं (जैसे पूर्ण प्रसवपूर्व देखभाल, सुरक्षित प्रसव, प्रसव के बाद देखभाल) का उपयोग उल्लेखनीय रूप से उच्च था।
- दूसरा, सर्वेक्षणों के बीच अन्य पिछड़ा वर्ग, दलित, आदिवासियों और मुस्लिम महिलाओं द्वारा तीनों मातृ स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं का उपयोग बढ़ा।
- सामान्यतः इस सन्दर्भ में कम शिक्षित और अधिक शिक्षित महिलाओं के बीच एवं निर्धन और संपन्न महिलाओं के बीच अंतराल में कमी आयी है।

नवीनतम अध्ययन

- **राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (NSSO) के आंकड़ों के 60 वें और 71 वें दौर** के विश्लेषण के आधार पर जननी सुरक्षा योजना के अध्ययन से पता चलता है कि **इस योजना के अंतर्गत सरकारी अस्पतालों में महिलाओं के प्रसव में 22% की वृद्धि हुई है।**
- अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि भारतीय महिलाओं में प्रजनन दर में तेजी से गिरावट हुई है (वर्ष 2004 में यह 2.88 प्रति महिला थी जबकि 2014 में यह घटकर 2.4 हो गई है।)

अन्य पहलें

PMSMA यह हर महीने की 9 तारीख को सभी गर्भवती महिलाओं को सार्वभौमिक तौर पर सुनिश्चित, व्यापक एवं उच्च गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व देखभाल मुहैया कराएगा।

MAA- Mothers Absolute Affection यह स्तनपान के प्रोत्साहन तथा स्तनपान का समर्थन करने के लिए परामर्श सेवाओं के प्रावधान को बढ़ावा देता है।

VISION IAS

- इस कार्यक्रम के मुख्य घटक, सामुदायिक जागरूकता, आशा (ASHA) के माध्यम से संचार को मजबूत बनाना, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रसव केन्द्रों में स्तनपान के लिए प्रशिक्षित सहायता, नियंत्रण करना, पुरस्कार आदि हैं।
- स्तनपान से मां और बच्चे के बीच एक खास रिश्ता बन जाता है और स्तनपान के दौरान हुई पारस्परिक क्रिया का जीवन में व्यवहार, बातचीत, सबके कल्याण का बोध, सुरक्षा और कैसे बच्चा अन्य लोगों से सम्बद्ध होता है आदि मामलों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
- बच्चे के जन्म के एक घंटे के भीतर और उसके बाद विशेष रूप से पहले छह महीनों के लिए स्तनपान, बच्चे के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है।

1.1.2.3. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (संशोधन) विधेयक, 2014

(Medical Termination of Pregnancy (Amendment) Bill, 2014)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- फरवरी 2017 में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने डाउन सिंड्रोम रोग से ग्रसित पाए गए अपने भ्रूण के समापन के संबंध में एक महिला के तर्क को अस्वीकार कर दिया। इस संपूर्ण मुद्दे ने अपने शरीर पर एवं गर्भ की समाप्ति के चयन के संबंध में महिला के अधिकार के विषय में बहस खड़ी कर दी। ध्यान देने योग्य है कि **मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (संशोधन) अधिनियम, 1971** में गर्भावस्था की निश्चित अवधि के बाद भ्रूण को पृथक जीव माना जाता है।

संलग्न मुद्दे

- मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी अधिनियम, 1971, गर्भावस्था के 20वें सप्ताह तक महिला को अपने गर्भ के समापन की अनुमति प्रदान करता है। लेकिन, अपवाद के कुछ मामलों में न्यायालय उपर्युक्त समयावधि में केवल तभी छूट एवं गर्भ के समापन की अनुमति देता है, जब भ्रूण महिला के जीवन को खतरा प्रस्तुत करता है या असामान्य विकृति से ग्रसित पाया जाता है।
- गर्भवती महिला, भ्रूण में किसी असामान्यता का पता लगाने के लिए केवल अपनी गर्भावस्था के 18 सप्ताह के बाद चिकित्सा परीक्षण से गुजर सकती है। लेकिन, इस परीक्षण की रिपोर्ट आने में ही 2-3 सप्ताह लग सकते हैं; इस बीच, गर्भवती महिलाएं गर्भपात का चयन करने हेतु अनुमत समयावधि को पार कर सकती हैं।
- चिकित्सा पेशेवरों की राय है कि 26 मिलियन नवीन भ्रूणों में से लगभग 2-3 प्रतिशत भ्रूणों में 20 सप्ताह की अवधि के बाद भी असामान्यता पायी जा सकती है और इसलिए गर्भ की समाप्ति हेतु ऊपरी समय सीमा में छूट दी जानी चाहिए।
- अधिनियम की कठोर रूपरेखा एवं इस मुद्दे से संबद्ध सामाजिक लांछन के असंख्य पहलुओं (विवाह पूर्व गर्भ, गर्भपात में शामिल जटिलता इत्यादि) के कारण, भारत में प्रति मिनट लगभग 10 महिलाओं की गर्भावस्था संबंधी जटिलताओं के कारण मृत्यु हो जाती हैं।
- इसके अतिरिक्त, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (संशोधन) अधिनियम, 1971 प्रसव हेतु संस्थागत सेवाओं के प्रति उदासीन है; उदाहरण के लिए, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्त्रीरोग विशेषज्ञों का अत्यधिक अभाव है। यह स्थिति ग्रामीण महिलाओं को गर्भपात की महंगी और असुरक्षित विधियों का चयन करने के लिए विवश करती है।

मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (संशोधन) विधेयक 2014 का महत्व

- MTP या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (संशोधन) विधेयक, 2014 का प्रयोजन गर्भपात के लिए कानूनी सीमा को वर्तमान **20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह** करना है और यह 12 सप्ताह की समयावधि तक मांग किए जाने पर गर्भपात (एबॉर्शन-ऑन-डिमांड) की अनुमति भी प्रदान करेगा।

- पूर्ववर्ती अधिनियम (MTP 1971) जनसंख्या नियंत्रण एवं गर्भावस्था संबंधी उच्च मृत्यु दर को रोकने के उद्देश्य से निर्देशित था; जबकि, संशोधित नया कानून गर्भपात का विकल्प चुनने की समय सीमा को बढ़ाकर महिला के चयन एवं अपने शरीर पर उसके स्वयं के अधिकार को ध्यान में रखेगा।
- प्रस्तावित विधेयक भ्रूण के समापन के लिए 'भ्रूण-संबंधी असामान्यताओं' के संबंध में विशेष आधारों को सम्मिलित कर पूर्ववर्ती अधिनियम के कुछ खण्डों का संशोधन करेगा।
- इसके अतिरिक्त, संशोधित विधेयक भ्रूण में 20 सप्ताह की समयावधि के बाद कोई असामान्यता पाए जाने के मामले में न्यायपालिका की भूमिका में कटौती करेगा एवं स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता को गर्भपात के लिए अधिकृत करेगा।
- इसके अतिरिक्त, प्रस्तावित विधेयक ने चिकित्सकीय एवं शल्य विधियों में विभेद करके 'टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी' की परिभाषा को संशोधित किया है। यह महिलाओं को गर्भपात संबंधी औषधियों का उपयोग करने एवं उन्हें प्राप्त करने की अनुमति प्रदान करेगा।

आगे की राह

- प्रस्तावित संशोधन में, सभी हितधारकों से अनिवार्य रूप से परामर्श किया जाना चाहिए ताकि लिंग चयनात्मक गर्भपात एवं कानून की कठोरता के कारण उच्च मृत्यु दर को कम किया जा सके।
- 1971 में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी अधिनियम पारित होने के बाद, सामाजिक एवं चिकित्सकीय परिस्थितियों में अनेक परिवर्तन हुए हैं, इसलिए, इस पहलू को नियंत्रित करने वाला कानून वर्तमान संदर्भ में चिकित्सकीय एवं सामाजिक वास्तविकताओं को अनिवार्य रूप से संबोधित करने वाला होना चाहिए।
- अभी तक, गर्भपात को परिवार, राज्य, युवतियों के मातृत्व और लैंगिकता से संबंधित मामले के स्थान पर चिकित्सकीय एवं विधिक परिप्रेक्ष्य से देखा जाता है। इसलिए, समय की मांग है कि प्रस्तावित कानून पर व्यापक दृष्टि से विचार किया जाए ताकि अपने शरीर के संबंध में महिलाओं के चयन के अधिकार एवं जीवन प्राप्त करने के भ्रूण के अधिकार से न्याय किया जा सके।

1.1.2.4. पर्सनल लॉ और लैंगिक न्याय

(Personal Laws and Gender Justice)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

- उच्चतम न्यायालय की खंडपीठ ने मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत "तलाक-ए-बिदत" (ट्रिपल तलाक), "निकाह हलाला" और बहुविवाह की प्रथाओं को अवैध और असंवैधानिक ठहराने की, पश्चिम बंगाल की एक मुस्लिम महिला की याचिका सुनी।
- उच्चतम न्यायालय की खंडपीठ ने महिला एवं बाल विकास, कानून एवं न्याय, अल्पसंख्यक मामलों तथा राष्ट्रीय महिला आयोग के मंत्रालयों को नोटिस जारी किया तथा इस मुद्दे पर उनकी राय मांगी है।

मुस्लिम पर्सनल लॉ का स्रोत **मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरियत) एप्लीकेशन एक्ट, 1937** है।

यह भारत के मुसलमानों पर "शरिया" कानून को लागू करता है। हालांकि, शरिया की एक सर्वमान्य परिभाषा के अभाव में, एक ही मुद्दे पर परस्पर विरोधी फतवा जारी करने वाले मौलवियों और विद्वानों के मध्य विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है।

अनुच्छेद 44- राज्य, भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा।

परिचय-

- भारत में पर्सनल लॉ कानूनों का एक समुच्चय है जो व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे परिवार, विवाह, तलाक, उत्तराधिकार आदि को नियंत्रित करता है। भारत में विश्वास की बहुलता के कारण, व्यक्तिगत मामलों के विनियमन सम्बन्धी कानूनों को व्यक्तिगत विश्वास के आधार पर नियंत्रित करने के लिए छोड़ दिया गया था।

VISION IAS

- सामाजिक रूप से महिलाओं की कमजोर स्थिति के कारण विभिन्न पर्सनल लॉ द्वारा महिलाओं की स्थिति में सुधार करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है और उन्हें कमजोर स्थिति में ही छोड़ दिया गया है।
- व्यक्ति के जीवन के निजी पहलुओं को नियंत्रित करने वाले कानूनों में एकरूपता स्थापित करने के लिए भारतीय संविधान में DPSPs के तहत एक समान नागरिक संहिता (अनुच्छेद 44) का प्रावधान किया गया है।

विभिन्न धर्मों में अन्यायपूर्ण कानून

- लैंगिक न्याय की बहस में मुस्लिम समुदाय को ही केंद्र में रखा जाता है और हिंदू (और अन्य) कानूनों को समतावादी, एकसमान और लैंगिक रूप से निष्पक्ष कानून के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। जबकि यह समस्या किसी एक धर्म की विशेषता नहीं है बल्कि यह सभी धर्मों में कमोबेश किसी न किसी रूप में विद्यमान है।
- मुस्लिम पर्सनल लॉ के तीन पहलुओं की वैधता के खिलाफ प्रश्न उठाए गए हैं:
  - **बहुविवाह** - मुस्लिम पुरूषों में सर्वाधिक प्रचलित है।
  - **तीन तलाक** -मुस्लिम महिलाओं को तलाक लेने का समान अधिकार नहीं है। तलाक लेने के लिए उन्हें दारुल कज़ा जाना पड़ता है और अपने पति द्वारा किए गए अत्याचारों को साबित करना होता है।
  - **निकाह हलाला** (एक ऐसी प्रथा है जिसके तहत यदि कोई महिला अपने पूर्व पति से विवाह करने की इच्छा रखती है तो उसे पहले किसी और व्यक्ति के साथ एक निकाह करना पड़ता है)।

हिंदुओं की ऐसी कई मान्यताओं एवं रीतियों पर अक्सर प्रश्न उठाये जाते रहे हैं जो महिलाओं की स्थिति को कमज़ोर कर सकती हैं-

- **दहेज**- शादी के समय, दुल्हन या उसके ससुराल वालों को दिया गया धन या वस्तू।
- **संपत्ति अधिकार**- हाल ही में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने घोषणा की कि केवल सबसे बड़ी बेटी ही अविभाजित हिन्दू परिवार की संपत्ति की कर्ता (karta) हो सकती है।
- **द्विविवाह**- एक हिंदू व्यक्ति की दूसरी पत्नी अपने अधिकारों से वंचित रहती है और उसकी स्थिति "पत्नी" के रूप में भी नहीं रह जाती है।

एक समाधान के रूप में UCC:

- अनुच्छेद 44 के अनुसार, एक समान सिविल संहिता को इन सभी समस्याओं के हल के रूप में देखा जाता है।
- एक समान नागरिक संहिता एक व्यक्ति की ज़िंदगी के निजी पहलुओं को नियंत्रित करने वाले कानूनों और नियमों की एक सुव्यवस्थित नियमावली हो सकती है।
- आशा की जाती है कि व्यक्तिगत मामलों से निपटने के लिए यह न्यायिक प्रक्रियाओं की एक स्थिर व्यवस्था प्रदान करेगा जो एक समान होगी एवं लैंगिक रूप से निष्पक्ष तथा न्यायपूर्ण होगी।
- सभी हितधारकों को साथ लेते हुए कानून पर अच्छी तरह से विचार-विमर्श किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, हाल ही में विधि आयोग ने इस मुद्दे पर लोगों की राय जानने के लिए UCC पर एक प्रश्नावली जारी की है।
- भारत जैसे विविधतापूर्ण देश जहां सामाजिक और धार्मिक प्रथाएं न केवल अलग-अलग होती हैं अपितु एक दूसरे के विपरीत भी हो सकती हैं। ऐसे में इस समस्या के समाधान हेतु वैधानिक बहुलतावाद का आश्रय लिया जा सकता है। वैधानिक बहुलतावाद कानून के विभिन्न स्रोतों के विचार को बढ़ावा देता है ताकि मानवाधिकारों के आधार सांस्कृतिक सापेक्षवाद को समायोजित किया जा सके।
- गोवा की तरह, धर्म या जातीयता से निरपेक्ष पूरे देश के लिए एक एकीकृत कानूनी संरचना की गारंटी UCC दे सकता है।

UCC की सीमाएं:

- समान नागरिक संहिता के ब्लू-प्रिंट के अभाव में इस विषय पर हर जगह अतार्किक उत्तेजनापूर्ण बहस देखने को मिल रही है जिससे जनता में केवल असद्भाव और असहिष्णुता जैसे अवगुणों का ही संचार हो सकता है।

VISION IAS

- UCC को लेकर आम तौर पर एक अस्पष्ट अवधारणा व्याप्त है कि यह लैंगिक रूप से न्यायसंगत कानूनों को अनिवार्यतः लागू करेगा, जो इससे संबंधित नीति निर्देशक सिद्धांत के मूल उद्देश्य से काफी दूर है।
- देश की विविधता को देखते हुए, एक समान नागरिक संहिता समाधान के बजाय एक बड़ी समस्या भी हो सकती है। जहां मौलिक अधिकार सभी को समानता प्रदान करते हैं तथा उसी के संरक्षण के तहत वे अपने धर्म और धार्मिक प्रथाओं का प्रचार करते हैं और उनका अनुसरण करते हैं वहां ऐसा कोई भी कदम, जो उनके प्रथागत कानूनों का उपयोग करने के अधिकार को प्रभावित करता है, अन्यथा लिया जा सकता है।
- जब समस्या एक अन्यायपूर्ण कानून हो तो समाधान हेतु एक ही ढांचा पर्याप्त नही होगा, जिसमें सभी व्यक्तिगत कानूनों को समायोजित किया गया हो, बल्कि ऐसे कानूनों को सुधारने की आवश्यकता है जो महिलाओं के विरुद्ध पूर्वाग्रही और पक्षपातपूर्ण हों।

आगे की राह

- हमारे सभी कानून लैंगिक आधार पर अन्यायपूर्ण नहीं हैं। उनमें लैंगिक अन्याय के विशिष्ट स्वरुप निहित हैं अतः प्रत्येक क़ानून को उसकी विशिष्टता के अनुरूप संबोधित किया जाना चाहिए।
- हालांकि, लैंगिक न्याय किसी एक धर्म तक सीमित नहीं होना चाहिए और इसे व्यापक आधार मिलना चाहिए।
- हमारा संविधान हमें लैंगिक भेदभाव का परीक्षण करने के लिए मापदंड प्रदान करता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में विशिष्ट लैंगिक अन्याय संबंधी प्रावधानों को चुनौती देने का अवसर प्रदान किया है।
- भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। धर्मनिरपेक्षता एक स्वतंत्र किन्तु एकता के सूत्र में बाँधने ला सिद्धांत है जो संविधान में निहित है। यह गरिमामय और समानता युक्त जीवन जीने का अधिकार देता है और इसलिए सभी पर बाध्यकारी है।
- भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में, UCC को लागू करना एक चुनौती हो सकती है और सहमति बनाने और कार्यान्वित करने में लंबा समय लग सकता है। इस बीच, अलग-अलग धर्मों के वैयक्तिक कानूनों को संहिताबद्ध करने की आवश्यकता है ताकि भेदभावपूर्ण नियम और लैंगिक समानता के प्रतिकूल कानूनों को निरस्त किया जा सके।

1.1.2.5. सरोगेसी

(Surrogacy)

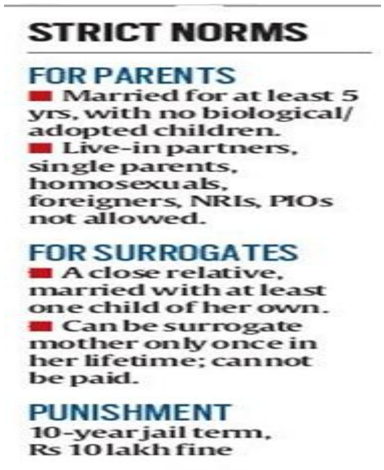
STRICT NORMS

FOR PARENTS
- Married for at least 5 yrs, with no biological/ adopted children.
- Live-in partners, single parents, homosexuals, foreigners, NRIs, PIOs not allowed.

FOR SURROGATES
- A close relative, married with at least one child of her own.
- Can be surrogate mother only once in her lifetime; cannot be paid.

PUNISHMENT
10-year jail term, Rs 10 lakh fine

सुर्खियों में क्यों?

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने व्यावसायिक सरोगेसी पर प्रतिबंध लगाने और केवल बांझ दंपतियों को ही सरोगेट मां द्वारा बच्चा प्राप्त करने की अनुमति प्रदान करने वाले विधेयक को प्रस्तुत करने की मंजूरी दे दी है।
- सरोगेट मां के शोषण, सरोगेसी से पैदा हुए बच्चों का परित्याग और मानव भ्रूण और युग्मक का आयात करने वाले बिचौलियों के रैकेट से संबंधित घटनाओं में वृद्धि हुई हैं।

संबंधित मुद्दे

- सरोगेट माँ का विभिन्न रूप में यथा स्वास्थ्य, वित्तीय और प्रसव पश्चात् देखभाल आदि के मामलों में शोषण होता रहा है। कई ऐसे उदाहरण भी सामने आए हैं जहां गर्भावस्था के दौरान उत्पन्न हुई जटिलताओं एवं उचित प्रसव-पश्चात् देखभाल की अनुपलब्धता के कारण सरोगेट माँ की मृत्यु हो गई है।
- **दोषपूर्ण संविदाएं** - निर्धन सरोगेट मां और बच्चे के इच्छुक माता-पिता के बीच किए जाने वाले अनुबंध मे प्रायः सभी चिकित्सकीय, वित्तीय और मनोवैज्ञानिक जोखिम सरोगेट माँ के हिस्से में आते हैं जबकि बच्चे के इच्छुक माता पिता को सारे दायित्वों से मुक्त रखा जाता है।

VISION IAS

- **सरोगेट का व्यावसायीकरण -** भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) के एक अध्ययन के अनुसार, भारत के सरोगेट मातृत्व उद्योग का आकार प्रतिवर्ष लगभग 2.3 अरब डॉलर का है।
- **सरोगेट शिशुओं का त्याग -** विकलांगता से ग्रसित जन्मे बच्चें या जुड़वां बच्चा पैदा होने की स्थिति में एक बच्चे को इच्छुक माता-पिता द्वारा त्याग दिए जाने के मामले सामने आए हैं।
- कुछ देशों में व्यावसायिक सरोगेसी को वैधानिक स्वीकृति नहीं प्रदान की गई है। वहाँ पर सरोगेसी से उत्पन्न शिशु कानूनी पेंच में फंस गए हैं क्योंकि उन्हें नागरिकता / कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है।

नैतिक चिंताए/विचार :

- कुछ लोग इसे नैतिक कर्तव्य के रूप में मानते हैं**।** जो महिलाएं, सेरोगेट माँ की सेवाएँ लेती हैं उनके ऊपर से यह बांझपन के "अभिशाप" को हटाता है**।**
- जबकि अन्य का मानना है कि सरोगेट की व्यवस्था प्रजनन की वैयक्तिक अवधारणा को समाप्त करती है।अभिभावकत्व (parenthood) को आनुवंशिक, गर्भधारण (gestational) और सामाजिक अलग-अलग रूप में वर्गीकृत करता है।
- बच्चों के जन्म देने के उद्देश्य मे परिवर्तन, अर्थात बच्चों को अपने लिए नहीं जन्म देना बल्कि किसी अन्य के लाभ के लिए जन्म देना।

प्रस्तावित विधेयक के प्रावधान

- अनिवासी भारतीय या भारतीय मूल के कार्ड धारकों को भारत में सरोगेट माँ की मदद लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- **दायरे से बाहर:** एकल पुरुष व महिला, विषमलैंगिक जोड़े जो विवाह नहीं करना चाहते, समलैंगिक जोड़े, ट्रांसजेंडर व्यक्ति तथा एकल अभिभावक सरोगेसी के जरिए बच्चा प्राप्त नहीं कर सकते हैं।
- कानूनी तौर पर विवाहित भारतीय जोड़े को विवाह के पांच वर्ष पश्चात् सरोगेट बच्चा हो सकता है लेकिन इसके लिए उनके बांझपन के प्रमाण के रूप में एक चिकित्सा प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी।
- विधेयक, सरोगेट मां के विवाहित होने और बच्चा चाहने वाले जोड़े की करीबी रिश्तेदार होने को अनिवार्य बनाता है। साथ ही यह भी प्रावधान किया गया है कि माँ ने सेरोगेट बच्चे को जन्म देने के पूर्व में एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया हो।
- एक औरत केवल एक सरोगेट बच्चे को जन्म दे सकती है।
- कानून का उल्लंघन करने पर 10 वर्ष का कारावास या 10 लाख रुपये के जुर्माने की सजा हो सकती है।
- स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में कार्यान्वयन की निगरानी करने हेतु एक राष्ट्रीय सरोगेसी बोर्ड बनाया जाएगा।
- सरोगेट माँ और सरोगेसी से पैदा हुए बच्चों के अधिकारों की रक्षा की जाएगी।

पक्ष

- महिलाओं का शोषण रोकना, विशेष रूप से उन गरीब महिलाओं का जिन्हें अपने परिवार का खर्च चलाने के लिए इस कारोबार में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया।
- यह मौद्रिक लाभ के लिए बार-बार सरोगेट गर्भधारण से महिलाओं की रक्षा करता है।
- एक बच्चे को जन्म देने में किसी भी मां के स्वास्थ्य और यहां तक कि जीवन के लिए एक खतरा बना रहता है, क्योंकि ज्यादातर प्रसव सीजेरियन सेक्शन से होता है।
- सरोगेट माँ अधिकांशत: गरीब या अनपढ़ महिलाएं होती हैं जिन्हें अपने संविदात्मक अधिकारों की बहुत कम समझ होती है।

VISION IAS

सरोगेसी पर विधि आयोग की 228वीं रिपोर्ट

- इसने वाणिज्यिक सरोगेसी के विरुद्ध अनुशंसाएं की हैं
- इसके तहत डोनर की गोपनीयता के साथ-साथ सरोगेट मां को भी संरक्षित किया जाना चाहिए।
- लिंग-चयनात्मक सरोगेसी निषिद्ध होनी चाहिए।
- मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ़ प्रेगनेंसी एक्ट ,1971 द्वारा ही केवल गर्भपात के मामले शासित होने चाहिए।
- सरोगेट बच्चे के इंटेंडेड पेरेंट्स में से एक डोनर होना चाहिए, क्योंकि बच्चे के साथ प्यार और स्नेह का बंधन मुख्य रूप से जैविक संबंधों से उत्पन्न होता है।
- कानून को स्वयं गोद लेने या यहाँ तक कि अभिभावक द्वारा घोषणा के बिना सरोगेट बच्चे को वैध बच्चे के रूप में मान्यता देनी चाहिए।

विपक्ष

- वाणिज्यिक सरोगेसी पर पूर्ण प्रतिबंध सरोगेसी उद्योग के गैरकानूनी प्रचलन को प्रेरित करेगा और सरोगेट माताओं को अधिक कमजोर बनाएगा।
- प्रस्तावित सरोगेसी विधेयक में प्रशीतित भ्रूण (frozen embryos) पर कोई विचार नहीं किया गया है
- यह आधुनिक सामाजिक वास्तविकता का ध्यान नही रखता है जहां एकल व्यक्ति, समलैंगिकों या लिव-इन जोड़ों को सरोगेसी मार्ग के माध्यम से बच्चा प्राप्त करने की इच्छा हो सकती है।
- यह सरोगेसी के कारोबार में शामिल गरीब महिलाओं की आजीविका संबधी मामलों का समाधान नहीं करता है।
- परिवार में बहुओं के साथ इस सरोगेसी के लिए ज़बरन विवश करने की सम्भावनाएं बढ सकती है।

आगे की राह

वर्तमान में सरोगेसी एक आवश्यकता (कई बाँझ दम्पतियों के लिए) के साथ ही साथ कई गरीब महिलाओं के लिए आय का स्रोत बन गई है। इसलिए सरोगेसी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से पूर्व, सरोगेसी के व्यावसायीकरण को समाप्त करने हेतु सख्त नियमों के साथ इस मुद्दे से निपटने हेतु अधिक संवेदनशील तरीके से प्रयास करना चाहिए।

1.1.3. महिलाओं के विरुद्ध अपराध

(Crimes Against Women)

नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार विगत दस वर्षों में महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों में दोगुने से भी ज्यादा की वृद्धि हुई है। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में शारीरिक और मानसिक क्रूरता शामिल है, जैसे महिलाओं के साथ दुराचार करने का प्रयास करना, पति और रिश्तेदारों के द्वारा क्रूरता, दुराचार तथा अपहरण करने के उद्देश्य से महिलाओं पर हमला करना। उल्लेखनीय है कि 95 फीसदी मामलों में अपराधी पीड़ित व्यक्ति का परिचित ही होता है। आंध्र प्रदेश में पिछले 10 वर्षों में महिलाओं के विरूद्ध सबसे अधिक अपराध (263,839) की शिकायतें दर्ज की गयी हैं।

यद्यपि वर्ष 2015 में 2014 की तुलना में महिलाओं के विरुद्ध अपराध में कमी देखी गई है तथा बलात्कार के मामलों में 5.7 फीसदी की कमी दर्ज की गयी। परन्तु अभी भी स्थिति गंभीर है:-

- महिलाओं के खिलाफ अन्य यौन अपराधों में **2.5 फीसदी की वृद्धि** हुई है। यौन उत्पीड़न, दर्शनरति (voyeurism), हमला या अन्य आपराधिक उद्देश्य से बल प्रयोग करना जैसे अपराध इस श्रेणी में शामिल है।
- 2015 में **महिलाओं के अपहरण (Kidnapping) तथा बहला फुसला कर अपने नियंत्रण में करने (abduction) के मामलों** में भी वृद्धि हुई है| शादी के लिए महिलाओं को मजबूर करना उनके अपहरण का मुख्य कारण रहा है।
- दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ अपराध की दर उच्चतम है।

फाउंडेशन कोर्स
सामान्य अध्ययन
28 Sep | 10 AM
हिन्दी माध्यम में
इनोवेटिव क्लासरूम प्रोग्राम के घटक
प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और निबंध के लिए महत्वपूर्ण सभी टॉपिक का विस्तृत कवरेज
मौलिक अवधारणाओं की समझ के विकास एवं विश्लेषणात्मक क्षमता निर्माण पर विशेष ध्यान
एनीमेशन, पॉवर प्वाइंट, वीडियो जैसी तकनीकी सुविधाओं का प्रयोग
अंतर - विषयक समझ विकसित करने का प्रयास
योजनाबद्ध तैयारी हेतु करेंट ओरिएंटेड अप्रोच
नियमित क्लास टेस्ट एवं व्यक्तिगत मूल्यांकन
कॉम्प्रीहेंसिव स्टडी मटेरियल
PT 365 कक्षाएं
MAINS 365 कक्षाएं
PT टेस्ट सीरीज
मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज
निबंध टेस्ट सीरीज
सीसैट टेस्ट सीरीज
निबंध लेखन - शैली की कक्षाएं
करेंट अफेयर्स मैगजीन
ऑनलाइन कक्षाएं भी उपलब्ध
GET IT ON Google Play
DOWNLOAD VISION IAS app from Google Play Store
Venue: Mukherjee Nagar Classroom Center

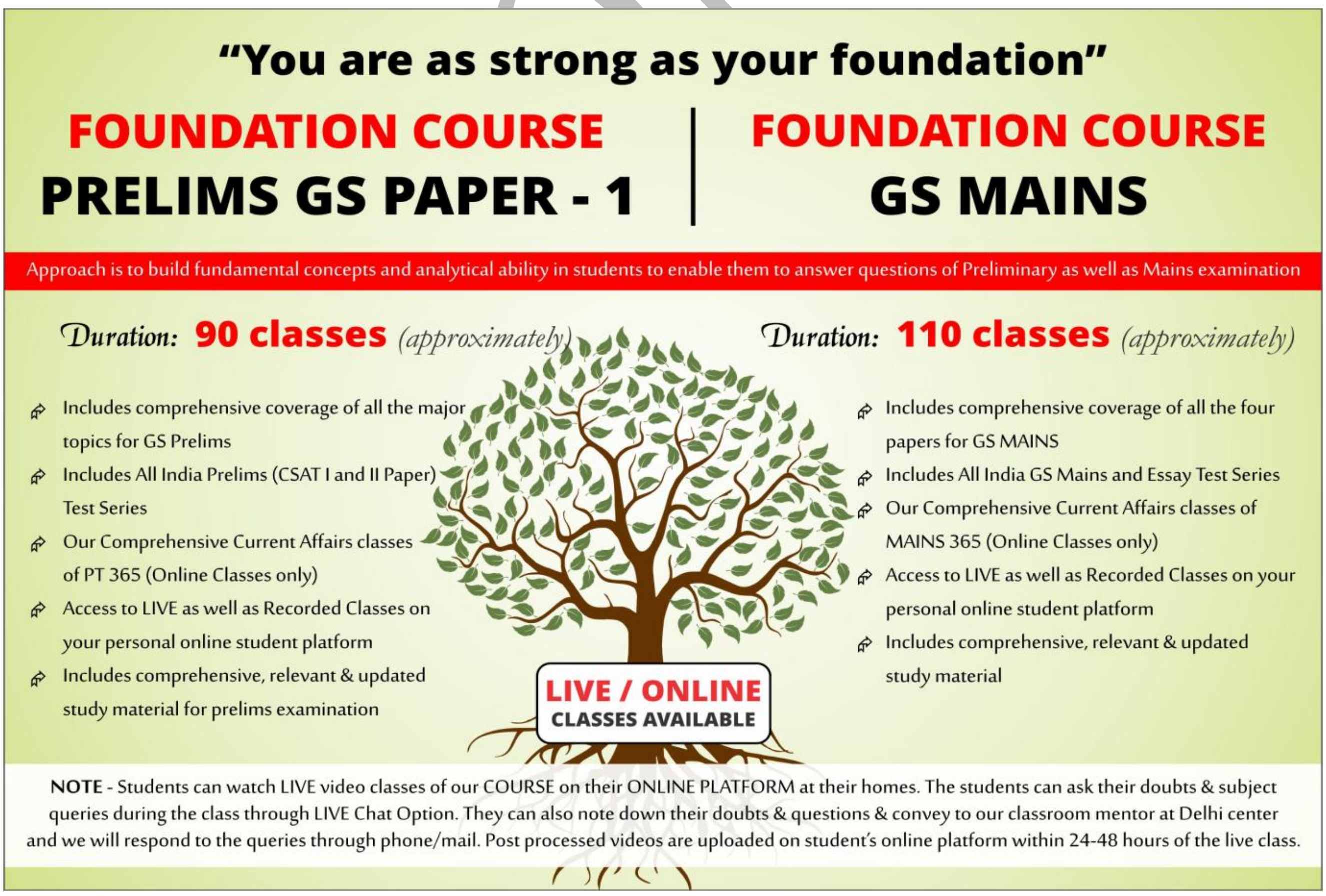
"You are as strong as your foundation"
FOUNDATION COURSE
PRELIMS GS PAPER - 1
FOUNDATION COURSE
GS MAINS
Approach is to build fundamental concepts and analytical ability in students to enable them to answer questions of Preliminary as well as Mains examination
Duration: 90 classes (approximately)
Includes comprehensive coverage of all the major topics for GS Prelims
Includes All India Prelims (CSAT I and II Paper) Test Series
Our Comprehensive Current Affairs classes of PT 365 (Online Classes only)
Access to LIVE as well as Recorded Classes on your personal online student platform
Includes comprehensive, relevant & updated study material for prelims examination
Duration: 110 classes (approximately)
Includes comprehensive coverage of all the four papers for GS MAINS
Includes All India GS Mains and Essay Test Series
Our Comprehensive Current Affairs classes of MAINS 365 (Online Classes only)
Access to LIVE as well as Recorded Classes on your personal online student platform
Includes comprehensive, relevant & updated study material
LIVE / ONLINE CLASSES AVAILABLE
NOTE - Students can watch LIVE video classes of our COURSE on their ONLINE PLATFORM at their homes. The students can ask their doubts & subject queries during the class through LIVE Chat Option. They can also note down their doubts & questions & convey to our classroom mentor at Delhi center and we will respond to the queries through phone/mail. Post processed videos are uploaded on student's online platform within 24-48 hours of the live class.

1.1.3.1. जननांग विकृत करना

(Genital Mutilation)

सुर्खियों में क्यों ?

सर्वोच्च न्यायालय ने महिला जननांग विकृति (Female Genital Mutilation: FGM) पर रोक लगाने के लिए दायर एक जनहित याचिका के संबंध में केंद्र सरकार और चार राज्य सरकारों से प्रतिक्रिया मांगी है।

पृष्ठभूमि

- महिला जननांग विकृति (FGM) को "खतना" भी कहा जाता है और भारत में दाऊदी बोहरा नामक एक मुस्लिम संप्रदाय में आमतौर पर इसका प्रचलन है।
- इस प्रथा के तहत, छह या सात वर्ष की आयु में बालिकाओं के जननांगो को विकृत कर दिया जाता है।
- यह कार्य, जिसमें क्लिटोरिस हुड (clitoris hood) को काट दिया जाता है, अधिकांशत: 'अप्रशिक्षित दाइयों' द्वारा किया जाता है और इसके पीछे धारणा है कि यह महिलाओं की यौन इच्छा को नियंत्रित करता है।
- **24 अफ्रीकी देशों में FGM को प्रतिबंधित** है। साथ ही ब्रिटेन और अमेरिका सहित कई पश्चिमी देशों ने भी इसे गैर-कानूनी घोषित कर दिया है।
- **दिसम्बर 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एकमत से इस प्रथा को समाप्त करने का संकल्प स्वीकार किया था।**

भारत में प्रावधान

- IPC की धारा 320 (गंभीर चोट पहुँचाना), 323 (जान-बूझकर चोट पहुँचाने हेतु दंड), 324 (खतरनाक हथियारों या साधनों से जान-बूझकर चोट पहुँचाना), 325 (जान-बूझकर गंभीर चोट पहुंचाने के लिए दंड) जैसे प्रावधान इस तरह की प्रथाओं पर रोक लगाती हैं।
- पॉस्को (POSCO) अधिनियम की धारा 3 और 5 (एक बच्चे के साथ पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असाल्ट), धारा 9 (गंभीर यौन उत्पीड़न) तथा धारा 19 (अपराध की रिपोर्टिंग) FGM जैसी क्रूर प्रथाओं को समाप्त कर सकती हैं।

आगे की राह

- महिलाओं के प्रति इस प्रकार की हिंसा को समाप्त करने के लिए, गैर-सरकारी संगठनों की सहायता और चिकित्सकीय विवरणों के माध्यम से ऐसी शारीरिक प्रथाओं के हानिकारक प्रभावों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने की आवश्यकता है।

1.1.3.2 घरेलू हिंसा अधिनियम

(Domestic Violence Act)

- हाल ही में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने **'वीमेन एंड मेन इन इंडिया 2015'** शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार घरेलू हिंसा महिलाओं के खिलाफ अपराध की श्रेणी में सबसे ऊपर है।

तथ्यात्मक आंकड़े:

- महिलाओं का **परिवार के अन्दर ही अधिक शोषण** होता है।
- **"पति और रिश्तेदारों द्वारा की जाने वाली क्रूरता"** जैसे अपराधों का हिस्सा महिलाओं के खिलाफ

BLEAK PICTURE

Disposal of crimes committed against women in 2014

	Cases reported during the year	Total cases for investi-gation	Cases in which chargesheets submitted	Total cases disposed of by police	Disposed cases as percentage of total cases for Investigation
Rape	36,735	51,623	30,840	35,590	69
Attempt to commit rape	4,234	4,672	2,781	3,369	72
Kidnapping & abduction of women	57,311	84,685	26,044	49,150	58
Dowry Deaths	8,455	13,270	7,653	8,597	65
Assault on women with intent outrage her modesty	8,235	10,164	6,462	76,388	76

Source: Women and Men in India – 2015, 17th issue, MoSPI

VISION IAS

गंभीर अपराधों के सभी पंजीकृत मामलों में सबसे बड़ा हिस्सा (सभी मामलों में से 36%) था।

- अपराध का दूसरा बड़ा वर्ग महिलाओं का शील भंग करने के उद्देश्य से किए जाने वाले अपराधों का था। महिलाओं के खिलाफ किए जाने वाले कुल अपराधों में ऐसे अपराधों का हिस्सा 26 प्रतिशत था।
- महिलाओं के बलात्कार, अपहरण और शारीरिक हमले में वृद्धि।
- **बलात्कार** -2014 में, सभी पीड़ितों में से 44 प्रतिशत लगभग 18-30 वर्ष के आयु वर्ग के थे, जबकि हर 100 पीड़ित में से एक छह साल से कम उम्र का था।

घरेलू हिंसा अधिनियम (Domestic Violence Act: DVA) में परिवर्तन

- घरेलु हिंसा अधिनियम में सुप्रीम कोर्ट ने 'वयस्क पुरुष' (adult male) शब्द वाले प्रावधान को को हटा दिया है ताकि एक महिला दूसरे महिला के विरुद्ध भी घरेलू हिंसा जैसे अपराधों में केस दाखिल कर सके।
- **न्यायालय का तर्क**
- चूँकि घरेलु हिंसा जैसे कृत्य करने तथा इस प्रकार की हिंसा के लिए उकसाने वाले अपराधी महिला भी हो सकते हैं तथा उनको संरक्षण देना इस अधिनियम के उद्देश्य को विफल कर सकता है। एक प्रकार से मूल अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत महिलाओं तथा अल्पवयस्कों को घरेलू हिंसा जैसे अपराध बिना किसी कानूनी कार्रवाई के भय के अंजाम दे सकने की छूट मिली हुई थी।
- यह समान परिस्थितियों में स्थित व्यक्तियों के बीच भेदभाव करता है और इस प्रकार संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है।

परिवर्तन का महत्व

- यह घरेलु हिंसा अधिनियम को **लैंगिक रूप से तटस्थ** बनाता है, जो कुछ विशेषज्ञों (फैसला देने वाले न्यायधीशों सहित) के अनुसार (यह परिवर्तन) कानून के उद्देश्य को बेहतर तरीके से प्राप्त करने में मदद करेगा।
- इस सन्दर्भ में यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया गया है कि अधिनियम के बदलाव का उपयोग पति अपनी पत्नियों के विरुद्ध काउंटर केस दर्ज करने के लिए कर सकते है, तथा इस कार्य के लिए वे अपनी माता या बहनों को माध्यम बना सकते हैं।
- इस अधिनियम के तहत किशोरों को भी शामिल करने के प्रावधान पर प्रश्न चिंह उठाया गया है। घरेलु हिंसा अधिनियम के अंतर्गत इस सन्दर्भ में कोई आपराधिक प्रावधान नहीं है और इस तरह ऐसे मामले में किशोर न्याय बोर्ड का सामना करने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।
- घरेलु हिंसा अधिनियम के तहत राहत पूर्णतः वित्तीय रूप में प्रदान किया जाना निर्धारित किया गया है, जैसे- रखरखाव, मुआवजा और वैकल्पिक आवास; जिसे केवल एक वयस्क के खिलाफ दावा करके ही प्राप्त किया जा सकता है।

हाल में हुए बदलाव

- **घरेलू हिंसा की परिभाषा को संशोधित किया गया है-** इसमें निम्नलिखित को सम्मिलित किया गया है: वास्तविक दुर्व्यवहार या दुर्व्यवहार के संभावित मामले जिसमें शारीरिक, यौन, मौखिक, भावनात्मक और आर्थिक उत्पीड़न एवं महिला या उसके रिश्तेदारों को अवैध दहेज मांगों के जरिए उत्पीड़ित करना।
- **महिला शब्द की व्याख्या का विस्तार किया गया है।** अब इस अधिनियम में **"लिव-इन पार्टनर", पत्नियां, बहनों, विधवाओं, माताओं, एकल महिलाओं** को कानूनी संरक्षण पाने का अधिकार होगा।
- **सुरक्षित आवास पाने का अधिकार** यथा वैवाहिक या साझा घर में रहने का अधिकार, भले ही उस घर में उसका स्वत्व (मालिकाना) अधिकार हो या नहीं। यह अधिकार न्यायलय द्वारा पारित निवास संबंधी आदेश द्वारा सुरक्षित किया गया है।

VISION IAS

- घरेलू हिंसा के अभियुक्त को अपराध को और अधिक संगीन बनाने या घरेलु हिंसा से संबंधित अन्य कोई अपराध करने से रोकने के लिए न्यायलय संरक्षण संबंधी आदेश दे सकता है, जैसे कि पीड़ित की आवाजाही से संबंधित स्थानों पर अभियुक्त को जाने से प्रतिबंधित करना, पीड़ित के कार्यस्थल पर उसके प्रवेश को रोकना, पीड़ित के साथ संचार करने का प्रयास न करने देना, दोनों पार्टियों द्वारा उपयोग की जाने वाली किसी भी संपत्ति को अभियुक्त द्वारा अकेले अपने नियंत्रण में न करने देना आदि।
- यह महिला को चिकत्सकीय जांच, कानूनी सहायता व सुरक्षित आश्रय प्रदान करने के लिए सुरक्षा अधिकारी तथा NGOs को नियुक्त करने का प्रावधान करता है।
- अपराधियों को एक वर्ष की अधिकतम कारावास की सजा और 20,000 रुपये या दोनों में से एक का प्रावधान उल्लेखित किया गया है।
- अभ्युक्त द्वारा संरक्षण आदेश या अंतरिम संरक्षण आदेश का उल्लंघन करने पर अधिनियम के अंतर्गत इसे एक एक संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध के रूप में माना जायेगा। इसके लिए उसे कारावास (जो एक साल तक) या जुर्माना (जो 20,000 रूपये का आर्थिक दंड) या दोनों की सजा दी जा सकती है।
- संरक्षण अधिकारी द्वारा इसका अनुपालन या अपने कर्तव्यों का निर्वहन न करने पर इस अधिनियम में उपर्युक्त वर्णित सजा के समान ही दंड का प्रावधान है।

सन्निहित कारण/ मुद्दे:

- **शहरी क्षेत्र-** शहरी क्षेत्रों में अपने साथी की तुलना में एक कार्यशील महिला की अधिक आय ससुराल वालों से उसके प्रति दुर्व्यवहार या उसकी उपेक्षा का एक प्रमुख कारण है।
- **ग्रामीण क्षेत्र-** ग्रामीण क्षेत्रों में कम आयु की विधवा स्त्रियों को हिंसा का अधिक सामना करना पड़ता है। अक्सर वे अपने पति की मृत्यु के लिए कोसी जाती हैं और उचित भोजन एवं कपड़ों से वंचित रखी जाती हैं। अधिकांश घरों में पुनर्विवाह के लिए उन्हें अनुमति प्रदान नहीं की जाती है या उन्हें प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। एकल परिवार में परिवार के अन्य सदस्यों या पड़ोस में किसी के द्वारा महिलाओं से छेड़छाड़ और बलात्कार के प्रयास जैसी घटनाएँ होती हैं।
- **अन्य कारण- रूढ़िवादी और पितृसत्तात्मक मानसिकता-** पुरुष वर्चस्व और महिलाओं पर नियंत्रण; आर्थिक कारण- दहेज की मांग, बांझपन या पुत्र प्राप्ति की इच्छा; शराब आदि।

घरेलू हिंसा अधिनियम की आलोचना / दुरुपयोग

- **यह अधिनियम लैंगिक रूप से पूर्वाग्रहों से ग्रस्त है और लिंग तटस्थ नहीं है।**
- **झूठे मामलों** की बढ़ती संख्या।
- यह जीवन साथी द्वारा बलात्कार जैसे दुर्व्यवहारों को शामिल नहीं करता है।
- मौखिक अपशब्दों और मानसिक उत्पीड़न जैसे दुर्व्यवहार की पीड़ित द्वारा व्यक्तिपरक व्याख्या की सम्भावना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता का अभाव जहां इस तरह के कानूनों की अधिक आवश्यकता है।
- गंभीर दुर्व्यवहार के मामलों में भी न्यायिक व्यवस्था मध्यस्थता और परामर्श का मार्ग अपनाती है। इसके अलावा पुरुष पुलिस अधिकारियों, सुनवाई के दौरान न्यायिक मजिस्ट्रेट आदि के द्वारा असंवेदनशीलता।
- पीड़ित महिलाओं के लिए आर्थिक, मनोवैज्ञानिक सहायता प्रणाली का अभाव।
- राज्यों में अपर्याप्त बजटीय आवंटन- विभागों ने पहले से व्याप्त बोझ के कारण 'संरक्षण अधिकारियों' को नियुक्त नहीं किया है।

आगे की राह

- घरेलू हिंसा से प्रभावित महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए।
- महिला सशक्तिकरण से संबंधित NGOs को घरेलू हिंसा से महिलाओं की रक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- विभिन्न सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करना चाहिए।
- मामलों का तीव्र निपटान करना।

VISION IAS

1.1.3.3. साइबर अपराध

(Cybercrime)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराध बढ़ रहे हैं और हाल ही में सरकार ने साइबर अपराधों को रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं।
- NCRB के आंकड़ों के अनुसार साइबर अपराधों के तहत, 2014 में अश्लील, सुस्पष्ट यौन सामग्री (धारा 67 A, 68 B और आईटी अधिनियम की धारा 67 C के तहत) के प्रकाशन या संचरण के 758 मामले दर्ज किए गए हैं।

साइबर अपराध क्या है?

- साइबर अपराध एक ऐसी आपराधिक गतिविधि है जिसमें कंप्यूटर और नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है।
- इसमे इंटरनेट और मोबाइल फोन जैसे आधुनिक दूरसंचार नेटवर्क साधनों का उपयोग करते हुए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्तियों को शारीरिक या मानसिक हानि, या नुकसान पहुँचाने का अपराध किया जाता है।
- साइबर अपराध किसी राष्ट्र की सुरक्षा और वित्तीय ढांचे के लिए हानिकारक होते हैं।

साइबर अपराध, जो विशेष रूप से महिलाओं को लक्षित करते हैं:

- **ई-मेल के माध्यम से उत्पीड़न:** यह पत्र, अनुलग्नक फाइलों और फ़ोल्डरों को भेजकर ई-मेल के माध्यम से किया जाने वाला बहुत ही आम प्रकार का उत्पीड़न है; अब सोशल साइट्स जैसे फेसबुक, ट्विटर इत्यादि का उपयोग करने के रूप में यह सबसे आम है।
- **साइबर-धोखाधड़ी:** इसका अर्थ है व्यक्त या अंतर्निहित भौतिक खतरा जो कि कंप्यूटर, इंटरनेट, ई-मेल, फोन, पाठ-संदेश, वेबकैम, वेबसाइट या वीडियो जैसे कंप्यूटर तकनीक के उपयोग से डर पैदा करता है।
- **अश्लील सामग्री के प्रसार:** इसमें पोर्नोग्राफी (मूल रूप से चाइल्ड पोर्नोग्राफी) शामिल है, इन निषिद्ध सामग्री वाले वेबसाइटों की मेजबानी करना शामिल है।
- **ई-मेल स्पूफिंग:** इसे एक धोखा देने वाला ई-मेल कहा जा सकता है, जो इसके मूल का प्रतिनिधित्व करता है। इससे पता चलता है कि जहाँ से यह उत्पन्न होता है वास्तव में इसका मूल उससे कहीं अलग ही होता है - यह अक्सर साइबर अपराधियों द्वारा व्यक्तिगत जानकारी और निजी छवियों को अदृष्ट महिलाओं से निकालने के लिए उपयोग की जाती है, इन छवियों आदि का उपयोग उन महिलाओं को ब्लैकमेल करने के लिए किया जाता है।
- **साइबर पॉर्नोग्राफ़ी**

मुद्दे / सामना की जाने वाली चुनौतियाँ

- साइबर अपराध- महिलाओं के खिलाफ तीव्रता से बढ़ रहे हैं और ये पूरी तरह से किसी व्यक्ति की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन सकते हैं।
- **आईटी अधिनियम 2000 में महिलाओं से सबंधित मुद्दों का उल्लेख नहीं है-** इस अधिनियम में कुछ अपराधों को परिभाषित किया गया है जैसे हैकिंग, अश्लील सामग्री का इंटरनेट पर प्रकाशन, डेटा के साथ छेड़छाड़ दंडनीय अपराधों के रूप में, लेकिन सामान्य रूप से महिलाओं की सुरक्षा से सम्बंधित खतरे को पूरी तरह से कवर नहीं किया गया है।
- आईटी अधिनियम 2000 साइबर स्टैकिंग, मोर्फ़िंग और ई-मेल स्पूफ़िंग जैसे विशेष साइबर अपराधों का उल्लेख नहीं करता है।
- **महिलाओं के खिलाफ ऑनलाइन उत्पीड़न के मामले सरकार द्वारा ठीक तरीके से संचालित नहीं कर रहे हैं।**
- सोशल नेटवर्किंग साइटों का उपयोग अप्रिय और घृणास्पद सामग्री प्रसारित करने के लिए किया जा रहा है जो महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक है।

VISION IAS

- महिलाएं रिवेंज-पोर्न (बदले की भावना से बनाई गई अश्लील विडियो), बिना सहमति के फोटोग्राफ का वितरण जिसमें प्रायः नग्नता और सेक्स शामिल होता है, का अनुभव कर रही हैं।
- पुरुषों द्वारा लड़कियों और महिलाओं का बलात्कार किये जाने और उसकी रिकॉर्डिंग को साझा करने के मामले बढ़ रहे हैं।
- **इंटरनेट एक ग़ैर कानूनी व्यापार का मंच बन गया है-** सोशल मीडिया का प्रयोग तस्करों द्वारा लोगों के फोटो को बिना उनकी सहमति के साझा करने और बेचने के लिए किया जाता है।

महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों को रोकने के लिए सरकार द्वारा कुछ कदम उठाए गए हैं -

- साइबर अपराध मामलों की जांच के लिए राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में साइबर सेल स्थापित किए गए हैं।
- सरकार ने कानून प्रवर्तन और न्यायपालिका के प्रशिक्षण के लिए केरल, असम, मिजोरम आदि राज्यों में **साइबर फोरेंसिक प्रशिक्षण और जांच प्रयोगशालाएं** स्थापित की हैं।
- **साइबर अपराध की जांच के कार्यक्रम -** विभिन्न विधि कॉलेज न्यायिक अधिकारियों के लिए साइबर कानून और साइबर अपराध पर कई जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने में लगे हुए हैं।
- सरकार द्वारा स्थापित प्रशिक्षण प्रयोगशालाओं में पुलिस अधिकारियों और न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है।
- हिंसा से प्रभावित सभी महिलाओं को 24 घंटे की आपातकालीन और गैर-आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए **महिला हेल्पलाइन के सार्वभौमिकरण** की योजना को मंजूरी दी गई है।

आगे की राह :

महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसमें साइबर अपराधों से निपटने के लिए पुलिस और न्यायपालिका जैसे न्यायिक प्रयोगशालाओं और तकनीकी प्रशिक्षण कानून प्रवर्तन एजेंसियों की स्थापना के लिए **और अधिक साइबर सेल, समर्पित हेल्पलाइन नंबरों** और उचित कानूनी सहायता प्रदान करने की सिफारिश की गई है।

1.1.4. अन्य सरकारी पहलें

(Other Government Initiatives)

- **केरल में "पिंक" पहल:** केरल के शहरों में महिलाओं द्वारा संचालित पिंक टैक्सियों से प्रेरित होकर केरल राज्य सड़क परिवहन निगम (KSRTC) तिरुवनंतपुरम में विशेष रूप से महिलाओं के लिए गुलाबी रंग की बसें आरम्भ करेगा। इसका उद्देश्य विशेष रूप से बसों में अत्यधिक भीड़ होने के दौरान महिलाओं को सुरक्षित और सुविधाजनक सार्वजनिक परिवहन प्रदान करना है।
- **TREAD-** हाल ही में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) ने महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए "व्यापार संबद्ध उद्यमिता सहायता एवं विकास योजना" (Trade Related Entrepreneurship Assistance and Development: TREAD) नामक शीर्षक से एक योजना का परिचालन किया है।
- **पश्चिम बंगाल सरकार की कन्याश्री प्रकल्प योजना -** इस योजना का उद्देश्य वंचित परिवारों (जिनकी वार्षिक परिवारिक आय 1,20,000 रुपये से अधिक न हो) की किशोरियों की स्थिति में सुधार करना है| इस योजना के तहत लड़कियों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सशर्त नकदी अंतरण के माध्यम से, बाल विवाह को रोककर तथा वित्तीय समावेश को बढ़ावा देकर किशोरियों की स्थिति में सुधार करने का लक्ष्य है।
- **तेजस्विनी परियोजना-** हाल ही में विश्व-बैंक ने झारखण्ड राज्य की किशोरियों और नवयुवतियों को सशक्त बनाने के लिए तेजस्विनी परियोजना हेतु 63 मिलियन डॉलर का ऋण प्रदान करने के लिए भारत सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है।
- **महिला शक्ति केन्द्र-** 2017-18 के बजट भाषण में उल्लेख किया गया था कि 14 लाख ICDS आंगनवाड़ी केंद्रों में ग्राम स्तर पर महिला शक्ति केन्द्रों की स्थापना की जाएगी। महिला शक्ति केंद्र कौशल विकास, रोजगार, डिजिटल साक्षरता, स्वास्थ्य और

VISION IAS

पोषण के अवसरों के साथ ग्रामीण महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए वन-स्टॉप कन्वर्जेन्ट सपोर्ट सर्विसेज प्रदान करेंगे। महिला शक्ति केंद्रों से महिलाओं के लिए आवश्यक सेवाओं तक पहुंच में वृद्धि होगी।

- **महिला पुलिस स्वयंसेवक-** हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहाँ महिला पुलिस स्वयंसेवक की पहल को करनाल और महेंद्रगढ़ जिलों में अपनाया गया है। राज्य में 1000 महिला स्वयं सेवकों के पहले बैच की भर्ती की गयी है। महिला पुलिस स्वयंसेवक महिला और बाल विकास मंत्रालय तथा केन्द्रीय गृह मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। इन महिला स्वयंसेवकों का प्राथमिक कार्य उन स्थितियों पर नजर रखना है जहाँ गाँवों में महिलाओं को तंग किया जाता है और उनके अधिकारों का हनन किया जाता है तथा उनके विकास को अवरुद्ध किया जाता है।

1.1.5 राष्ट्रीय महिला नीति, 2016 का मसौदा

(Draft National Policy On Women, 2016)

सुर्ख़ियों में क्यों?

सरकार ने **राष्ट्रीय महिला नीति, 2016 का मसौदा** जारी किया।

नई नीति की आवश्यकता

- राष्ट्रीय महिला अधिकारिता नीति, 2001 (NPWE, 2001) के बाद लगभग डेढ़ दशक बीत चुके हैं। इसमें महिलाओं के लिए आवश्यक बातों को ध्यान में रखते हुए उनकी उन्नति, विकास और सशक्तिकरण के लिए एक समग्र प्रगतिशील नीति तैयार की गई थी।
- पिछले कुछ वर्षों में कई विरोधाभासी प्रवृतियाँ दिखायी पड़ी हैं। महिलाएं समानता और लैंगिक अधिकारों के प्रति जागरुक हुई हैं। महिलाओं के खिलाफ बलात्कार, तस्करी, दहेज इत्यादि जैसे विभिन्न प्रकार की हिंसा के बारे में की जाने वाली रिपोर्टिंग में भी वृद्धि हुई है।
- नव सहस्राब्दि तथा गतिशील वैश्विक और राष्ट्रीय परिदृश्य में विकास और संवृद्धि के नए पहलुओं की शुरूआत हुई है। जिससे समाज में लैंगिक न्याय से जुडी हुई सांस्कृतिक और सामाजिक-आर्थिक मान्यताओं के लिए जटिल चुनौतियां पैदा हुईं।
- महिला सशक्तिकरण सम्बन्धी अवधारणा में परिवर्तन आया है। यह स्वीकार किया जाता है कि महिला सशक्तिकरण के लिए आवश्यक है कि अब महिलाओं को कल्याणकारी लाभों के प्राप्तिकर्ता की श्रेणी से आगे बढ़कर उन्हें विकास की प्रक्रिया में शामिल किया जाए।
- इसलिए एक नई नीति तैयार करने की आवश्यकता है, जो लैंगिक अधिकारों को वास्तविक रूप देकर, महिलाओं के मुद्दों से संबंधित सभी पहलुओं को संबोधित करके, उभरती चुनौतियों पर नियंत्रण करके तथा देश के सतत विकास की प्रक्रिया में महिलाओं को बराबर की हिस्सेदारी प्रदान करके महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए आवश्यक व्यापक बदलाव को दिशा-निर्देशित कर सके।

राष्ट्रीय महिला अधिकारिता नीति, 2001:

राष्ट्रीय महिला अधिकारिता नीति, 2001 का लक्ष्य महिलाओं की उन्नति, विकास और महिला सशक्तिकरण की दिशा में प्रयास करना है। इस नीति में शामिल उद्देश्य निम्नलिखित हैं-

- महिलाओं के पूर्ण विकास के लिए सकारात्मक आर्थिक और सामाजिक नीतियों के माध्यम से एक ऐसा वातावरण तैयार करना जिससे उन्हें अपनी पूरी क्षमता का पता लग सके।
- राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और नागरिक सभी क्षेत्रों में पुरुषों के समान महिलाओं को भी सभी मानवाधिकारों और मूलभूत स्वतंत्रता का लाभ क़ानूनी और वास्तविक रूप में दिया जायेगा।
- महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने के उद्देश्य से कानूनी प्रणाली को सुदृढ़ बनाना।
- परिवर्तनशील सामाजिक परिदृश्य और सामाजिक व्यवहार द्वारा पुरुषों और महिलाओं दोनों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ाना।

इस मसौदे द्वारा निर्धारित प्राथमिकताएं:

- **खाद्य सुरक्षा और पोषण युक्त स्वास्थ्य:** यह महिला नसबंदी के बजाए पुरुष नसबंदी पर फोकस करके, महिलाओं के प्रजनन अधिकारों को मान्यता देता है।
- **शिक्षा**: महिलाओं में साक्षरता को बढाने के लिए एक मिशन मोड आधारित दृष्टिकोण की कल्पना की गई है।
- **अर्थव्यवस्था:**
    - लैंगिक अनुमानों के आधार पर गरीबी का अनुमान लगाया जाएगा क्योंकि गरीबी सम्बंधित पारिवारिक अनुमान लैंगिक गरीबी का अनुमान नहीं देते हैं।
    - लिंग और गरीबी की गतिशीलता के बीच संबंधों को संबोधित किया जाएगा, उदाहरण के लिए- इसके अंतर्गत कार्यबल (workforce) में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना, महिलाओं के अवैतनिक कार्य को आर्थिक और सामाजिक मूल्य के रूप में पहचानना तथा महिलाओं के अचल संपत्ति के अधिकार को सुनिश्चित करना सम्मिलित है।
- **शासन और निर्णयन:** शासन में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए उनमें और अधिक क्षमता निर्माण करके, महिला अधिकारों तथा कानूनों के निर्णयन के पहलुओं पर मात्रात्मक ही नहीं बल्कि गुणात्मक तौर पर सुधार किया जाएगा।
- **महिलाओं के विरुद्ध हिंसा:**
    - महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के सभी प्रकारों को दूर करने के प्रयास किया जाएगा। इसे भ्रूण से लेकर प्रौढ़ावस्था तक जीवन चक्र के समग्र दृष्टिकोण के माध्यम से लागू किया जाएगा। इसलिए यह गर्भावस्था में लिंग परीक्षण चयन तकनीक के समापन, शिक्षा और बाल विवाह के निषेध से शुरू होगा। घर, सार्वजनिक स्थल और कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा को कवर किया गया है।
    - जागरूकता पैदा करने के कार्यक्रमों और सामुदायिक कार्यक्रमों के माध्यम से पुरुषों और लड़कों को भी इसमें शामिल किया जाएगा।।
- **उचित परिवेश का निर्माण:**
    - ग्रामीण और शहरी इलाकों में आवासीय नीतियों, आवासीय कालोनियों की योजनाओं तथा आश्रयों में लैंगिक दृष्टिकोण को प्राथमिकता दी जाएगी।
    - स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता की उपलब्धता सुनिश्चित करना, पत्रकारिता में लिंग समानता और खेलों में अधिक भागीदारी को प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के रूप में पहचाना गया है।
- **पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन**:
    - जलवायु परिवर्तन, पर्यावरणीय क्षरण तथा प्राकृतिक आपदाओं और संकट के समय पलायन एवं विस्थापन से महिलाएं अत्यधिक प्रभावित होती हैं। पर्यावरण संरक्षण और पुनर्स्थापन सम्बंधित नीतियों और कार्यक्रमों में अनिवार्य रूप से लैंगिक चिंताओं को शामिल किया जाएगा।
    - गरीबी और जलवायु संकट से मुकाबला करने के लिए इस योजना के एक अभिन्न अंग के रूप में न्यायसंगत स्वामित्व नियंत्रण और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करना तथा गरीब महिलाओं के परिसंपत्ति आधार को सुनिश्चित करना शामिल होगा।
- इसके अतिरिक्त, कुछ उभरते मुद्दे भी पहचाने गए हैं। इनमें से कुछ हैं:
    - संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार निजी और परम्परागत कानूनों की समीक्षा की जाएगी। इससे महिलाओं के लिए न्यायसंगत, समावेशी तथा त्वरित हकदारी बढ़ेगी।
    - एकल महिलाएं जिनमें विधवा, तलाकशुदा, अविवाहित और परित्यक्त महिलाएं शामिल हैं, की विशेष आवश्यकताओं को स्वीकार करना। उनकी कमजोरियों को हल करने, उन्हें अवसर उपलब्ध कराने तथा उनकी समग्र परिस्थितियों में सुधार करने के लिए एक व्यापक सामाजिक संरक्षण तंत्र को डिज़ाइन किया जाएगा।

- उद्यमी गतिविधियों में महिलाओं के लिए स्वस्थ परिवेश का निर्माण करना और अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में निर्णय लेने वाली भूमिका और नेतृत्व को बढ़ावा देना।
- अधिकांश महिलाएं कृत्रिम प्रजनन तकनीक का सहारा ले रही हैं इसलिए इन तकनीकों को अपनाने वाली महिलाओं अर्थात सेरोगेट मदर, कमीशनिंग मदर और पैदा हुए बच्चों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के प्रयास किये जाएँगे।

- इसके अतिरिक्त, मसौदे में अन्य बातें भी शामिल हैं-
  - अंतर और अंतरा-संस्थागत (inter-and intra-institutional) भागीदारी को सुनिश्चित किया जायेगा जो कन्वर्जेन्स को सुगम बनाने और बेहतर योजना और नीति निर्माण के लिए एक लिंग आधारित डेटा सिस्टम के निर्माण में सहायता करता है।
  - मंत्रालयों, राज्य सरकार के विभागों, पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों में अपेक्षित नीतियों, कार्यक्रम और योजनाओं में घरेलू लैंगिक ऑडिट करने के लिए जेंडर बजटिंग सेल की स्थापना करना भी शामिल है।

नीति का कार्यान्वयन

- राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय सरकार के स्तर पर, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, निगमों, व्यवसायों, व्यापार संघों, गैर-सरकारी संगठनों और समुदाय आधारित संगठनों में योजना के ढांचे को क्रियान्वित करने के क्रम में विशेषकर प्रभावी रणनीतियों को लागू करने की आवश्यकता होगी।
- नीति दस्तावेज़ में नीति निर्देश के संबंध में कार्य-लक्ष्यों के साथ एक अंतर-मंत्रिस्तरीय कार्य योजना तैयार की जाएगी। इस कार्य योजना में विभिन्न कार्यों के लिए जिम्मेदार मंत्रालयों/विभागों का निर्धारण किया जाएगा तथा उनसे संबंधित निश्चित लक्ष्य, आधार स्तम्भ गतिविधियां, समयसीमा (लघु अवधि, मध्यम अवधि और दीर्घकालिक) और परिणाम संकेतक भी दिए जाएंगे।
- कार्य-योजना के तहत की गई उपलब्धियों और प्रगति की समय-समय पर निगरानी के लिए एक अंतर-मंत्रिस्तरीय समिति की स्थापना की जाएगी।

1.2. ट्रांसजेंडर समुदाय से सम्बंधित मुद्दे

(Issues Related to Transgenders)

ट्रांसजेंडर समुदाय को अभी भी भारत में पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ता है। 'ट्रांसजेंडर' शब्द उन सभी लोगों के बारे में प्रयुक्त होता है जो सामान्य रूप से स्थापित लैंगिक पहचानों से भिन्न दिखते हैं व उनसे भिन्न व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। इसमें ट्रांससेक्सुअल, ट्रांस्वेस्टाइट्स (क्रॉस-ड्रेसर), इंटरसेक्स्ड व्यक्ति और विलक्षण लैंगिक प्रवृत्ति वाले लोग (gender queers) शामिल हैं। भारतीय संदर्भ में इसमें हिजड़ा, किन्नर, अरावनी, जोगता/जोगप्पा, शिव-शक्ति और अरधी जैसी सामाजिक पहचानें भी सम्मिलित हैं।

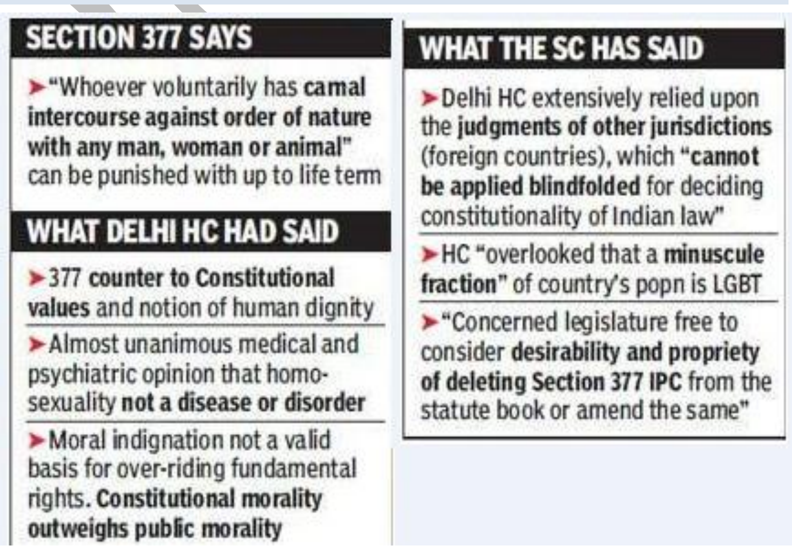

SECTION 377 SAYS

➤ "Whoever voluntarily has **carnal intercourse against order of nature with any man, woman or animal**" can be punished with up to life term

WHAT DELHI HC HAD SAID

➤ **377 counter to Constitutional values** and notion of human dignity

➤ Almost unanimous medical and psychiatric opinion that homo-sexuality **not a disease or disorder**

➤ Moral indignation not a valid basis for over-riding fundamental rights. **Constitutional morality outweighs public morality**

WHAT THE SC HAS SAID

➤ Delhi HC extensively relied upon the **judgments of other jurisdictions** (foreign countries), which **"cannot be applied blindfolded** for deciding constitutionality of Indian law"

➤ HC "overlooked that a **minuscule fraction**" of country's popn is LGBT

➤ "Concerned legislature free to consider **desirability and propriety of deleting Section 377 IPC** from the statute book or amend the same"

ट्रांसजेंडर्स की समस्याएँ:

- **सामाजिक कलंक (Social stigma)**: जन्म के साथ ही ट्रांसजेंडर्स को समाज से अलग-थलग कर दिया जाता है, जिससे उनका समाज के साथ एकीकरण नहीं हो पाता है।
- **शिक्षा:** उन्हें औपचारिक रूप से स्कूली शिक्षा नहीं मिल पाती। इतना ही नहीं, उनके लिए विशेष विद्यालयों का भी अभाव है।
- **रोज़गार:** कुल कार्यबल में उनकी हिस्सेदारी 1% से भी कम है।
- उनका अपना परिवार भी उन्हें त्याग देता है।
- राजनीति एवं निर्णयन प्रक्रिया तक उनकी पहुँच नहीं है।

हालाँकि, पिछले कुछ समय में ट्रांसजेंडर समुदाय अपने अधिकारों के बारे में अधिक मुखर हुआ है। सरकार के विभिन्न अंग और स्तर भी उनकी चिंताओं और उनसे सम्बंधित मुद्दों का समावेश करने का प्रयास कर रहे हैं।

उपरोक्त के अतिरिक्त एक अन्य प्रमुख मुद्दा यह भी है कि उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा-377 के कारण भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। धारा-377 के तहत समलैंगिकता को अपराध माना गया है (चित्र देखें)।

हालांकि, दिल्ली उच्च न्यायालय ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से हटाने (डीक्रिमिनलाइजेशन) का निर्णय दिया था किन्तु कौशल बनाम नाज फाउंडेशन मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इसे पुनः उलट दिया। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय ने समलैंगिकता को पुनः अपराध घोषित कर दिया।

कौशल निर्णय के बाद का घटनाक्रम

- गुजरात उच्च न्यायालय ने अपने एक फैसले में समलैंगिकता प्रदर्शित करने वाली एक फिल्म को गुजरात सरकार द्वारा कर में छूट न देने को असंवैधानिक करार दिया।
- NALSA वाद (2014) में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ट्रांसजेंडर्स को सार्वजनिक सेवाओं के संदर्भ में 'थर्ड जेंडर' के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। उन्हें पुरुष, महिला या थर्ड जेंडर के रूप में आत्म-निर्धारण करने का अधिकार होगा और उन्हें संविधान द्वारा प्रदत्त सभी मौलिक अधिकार भी प्राप्त होंगे। इसके साथ ही इस निर्णय से उन्हें शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश तथा नौकरियों के संबंध में आरक्षण भी प्रदान किया गया क्योंकि उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग माना गया है ।
- इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि ट्रांसजेंडर्स को खाद्य सुरक्षा कानून के तहत "घर का मुखिया" माना जाएगा।
- रेलवे आरक्षण फॉर्म, राशन कार्ड आवेदन, पासपोर्ट आवेदन एवं अन्य कई सेवाओं में अब 'थर्ड जेंडर' का भी एक विकल्प उपलब्ध है।
- दिल्ली सरकार ने जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्रों के पंजीकरण फ़ॉर्मों में "ट्रांसजेंडर श्रेणी" को शामिल करने का निर्णय लिया है।
- ट्रांसजेंडर्स के संवैधानिक अधिकारों के संरक्षण के लिए ट्रांसजेंडर नीति का निर्माण करने वाला केरल भारत का प्रथम राज्य है। इस नीति का उद्देश्य इस लैंगिक अल्पसंख्यक समूह के प्रति सामाजिक कलंक (सोशल स्टिग्मा) को समाप्त कर उनके प्रति भेदभावरहित व्यवहार सुनिश्चित करना तथा उनको उनके संवैधानिक अधिकार दिलाना है। यह नीति तमिलनाडु, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल के ट्रांसजेन्डर वेलफेयर बोर्ड्स की तरह मात्र कल्याण तक ही सीमित नहीं है बल्कि यह अधिकार आधारित दृष्टिकोण पर आधारित है।
- भारत की पहली ट्रांसजेंडर स्पोर्ट्स मीट का आयोजन केरल स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल द्वारा तिरुअनंतपुरम् में किया गया। खेलों की श्रेणियों का निर्धारण हमेशा से ही 'जेंडर बाइनरी लाइन्स' अर्थात केवल दो लैंगिक श्रेणियों (पुरुष एवं महिला) के आधार पर किया जाता रहा है। अतः इस तरह के खेलों का आयोजन कानून और उसके प्रवर्तन के बीच के अंतराल को समाप्त करने के लिए किये जाने वाले प्रयासों का ही एक परिणाम है।
- भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 44 में संशोधन के माध्यम से जल्द ही ईसाई ट्रांसजेंडर को भी संपत्ति में समान अधिकार प्राप्त होने की संभावना है। इस संशोधन से पैतृक संपत्ति में ट्रांसजेंडर्स को पुरुषों और महिलाओं के समान अधिकार दिए जा सकते हैं। यह विधेयक पारित हो जाने के बाद ट्रांसजेंडर संपत्ति के अधिकारों में भेदभाव किए जाने की दशा में कानूनी उपायों का सहारा ले सकेंगे।
- ओडिशा देश का प्रथम राज्य बन गया है जिसने ट्रांसजेंडर्स को गरीबी रेखा से नीचे का दर्ज़ा प्रदान किया है। इससे ओडिशा के लगभग 22 हज़ार ट्रांसजेंडर्स को लाभ मिलेगा। ओडिशा सरकार ने ट्रांसजेंडर्स को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत भी कवर करने का निर्णय लिया है।

VISION IAS

केरल की ट्रांसजेंडर नीति

- यह ट्रांसजेंडर्स (TGs) की सभी श्रेणियों को शामिल करता है चाहे पुरुष TG हो अथवा महिला TG या इंटरसेक्स।
- यह पुरुष, महिला या TG के रूप में स्वयं की पहचान निर्धारित करने के अल्पसंख्यक समूह के अधिकार पर जोर देती है।
- यह नीति सुनिश्चित करती है कि उन्हें समान सामाजिक और आर्थिक अवसर, संसाधनों और सेवाओं तक समान पहुंच, कानून के तहत समान व्यवहार का अधिकार, हिंसा के बिना जीवन जीने का अधिकार तथा सभी निर्णय लेने वाले निकायों में न्यायसंगत अधिकार प्राप्त हो सकें।
- यह राज्य के सामाजिक न्याय मंत्री की अध्यक्षता में ट्रांसजेंडर जस्टिस बोर्ड की स्थापना की सिफारिश भी करती है।
- यह TGs के मानवाधिकारों का उल्लंघन के मामलों में पुलिस के खिलाफ भी आपराधिक और अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रावधान करती है।

केंद्र सरकार ने भी ट्रांसजेंडर्स के अधिकारों के संरक्षण के लिए लोकसभा में ट्रांसजेंडर (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2016 पेश किया है।

विधेयक के प्रावधान

- **ट्रांसजेंडर व्यक्ति की परिभाषा:** बिल के अनुसार एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति वह है जो (i) पूर्णतः महिला या पुरुष नहीं है; (ii) महिला और पुरुष, दोनों का संयुक्त रूप है; अथवा (iii) न तो महिला है और न ही पुरुष।
- **भेदभाव पर प्रतिबन्ध:** यह ट्रांसजेंडर्स को मूलभूत क्षेत्रों में सेवाएँ देने से मना किए जाने तथा उनसे होने वाले भेदभाव के मामले में संरक्षण प्रदान करता है।
- **निवास का अधिकार:** प्रत्येक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को अपने परिवार के साथ रहने और उसमें शामिल होने का अधिकार है।
- **स्वास्थ्य देखभाल:** सरकार ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी।
- **ट्रांसजेंडर व्यक्ति का पहचान-पत्र:** किसी ट्रांसजेंडर व्यक्ति द्वारा आवेदन किये जाने पर इसे जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया जाएगा।
- सरकार के कल्याणकारी उपाय: सरकार ट्रांसजेंडर्स को समाज की मुख्यधारा में शामिल करने और उनकी पूर्ण सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगी। इसके लिए सरकार पुनर्वास कार्यक्रमों, रोज़गार योजनाओं और व्यावसायिक प्रशिक्षण जैसे माध्यमों का प्रयोग करेगी।
- **अपराध और दंड:** विधेयक के अनुसार निम्न कार्य अपराध की श्रेणी में आते हैं : ट्रांसजेंडर्स से भीख मँगवाना; बल-पूर्वक या बँधुआ मजदूरी करवाना; उन्हें सार्वजनिक स्थान का उपयोग करने से रोकना; उन्हें परिवार, गाँव आदि में निवास करने से रोकना; तथा उनका शारीरिक, यौन, मौखिक, भावनात्मक अथवा आर्थिक उत्पीड़न करना। इन अपराधों के लिए छः माह से दो वर्ष तक के कारावास और अर्थ-दंड का प्रावधान है।
- **नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स (NCT):** केंद्र सरकार को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के संबंध में नीतियों, विधानों और योजनाओं के निर्माण व निगरानी के विषय में सलाह देने के लिए NCT की स्थापना की जाएगी।

1.3. बच्चों से संबंधित मुद्दे

(Issues Related to Child)

भारत में बच्चे अतिसंवेदनशील समुदाय में से एक है जो राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक अधिकारों से वंचित हैं। वे बहुत सारी समस्याओं से घिरे हुए हैं जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल की कमी, बाल श्रम, बाल विवाह आदि। **संविधान का अनुच्छेद 23 शोषण** के विरुद्ध लोगों (विशेष रूप से बच्चों) को अधिकार प्रदान करता है तथा राज्य का कर्तव्य कि वह इस अधिकार की रक्षा करे। आगे बच्चों से संबंधित मुद्दों की चर्चा की गई है और सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर भी विचार किया गया है।

VISION IAS

1.3.1. बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना, 2016

(National Action Plan for Children, 2016)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPC), 2016 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (WCD) द्वारा आरम्भ की गई थी।

राष्ट्रीय बाल नीति, 2013

- यह 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को बच्चे के रूप में मान्यता देती है।
- इसका मानना है कि बच्चे समरूप समूह नहीं हैं तथा उन्हें भिन्न-भिन्न प्रकार की अनुक्रियाओं की आवश्यकता होती है।
- इसका उद्देश्य बच्चे के पालन-पोषण हेतु परिवार को सामाजिक सुरक्षा तंत्र प्रदान करना है।
- इसके अनुसार प्रत्येक बच्चे को सावभौमिक, अभिन्न और व्यक्तिगत मानव अधिकार प्राप्त हैं।
- इसके चार प्राथमिकता क्षेत्र हैं:
- **जीवन रक्षा, स्वास्थ्य और पोषण**
- **शिक्षा और विकास**
- **बाल संरक्षण**
- **बच्चे की भागीदारी**

पहल की आवश्यकता

- बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति भारत सरकार (GOI) द्वारा 2013 में अपनाई गई थी।
- NAPC वर्ष 2013 की नीति को अपने प्राथमिकता क्षेत्रों के अंतर्गत कार्रवाई करने योग्य रणनीतियों से जोड़ती है।
- इसका उद्देश्य बाल अधिकारों पर ध्यान देने के लिए भारत सरकार एवं नागरिक समाज सहित सभी हितधारकों का समन्वय करना है।

भारत ने 2013 में उभरते मुद्दों के लिए राष्ट्रीय नीति प्रस्तुत की थी और इसे कार्यान्वित करने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना भी प्रस्तावित की है।

कार्य योजना के प्रावधान

राष्ट्रीय बाल कार्य योजना, 2016 के कुछ प्रावधान इस प्रकार हैं -

बाल जीवन, स्वास्थ्य और पोषण पर

- यह मातृ और बाल स्वास्थ्य देखभाल को सार्वभौमिक रूप प्रदान कर बच्चे के स्वास्थ्य में सुधार करने में सहायता करेगी।
- यह सार्वभौमिक टीकाकरण जैसी पहलों के माध्यम से नवजातों की देखभाल पर भी जोर देगी।
- यह माँ और बच्चे की प्रसव-पूर्व, प्रसव के दौरान और प्रसवोत्तर देखभाल के लिए समयोचित उपायों के माध्यम से मानसिक और शारीरिक अक्षमताओं की रोकथाम करेगी।

शिक्षा और विकास पर

- यह कार्य योजना छः वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा (अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन: ECCE) के लिए सार्वभौम और न्यायपूर्ण पहुँच प्रदान करेगी।
- यह सभी बच्चों के लिए माध्यमिक स्तर तक सस्ती, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देगी।

बाल संरक्षण पर

- यह सभी स्तरों पर बाल संरक्षण के लिए विधायी, प्रशासनिक और संस्थागत निवारण तंत्रों को मजबूत बनाने में सहयोग करेगी।

बाल भागीदारी पर

- यह योजना सुनिश्चित करेगी कि बच्चे स्वयं से जुड़े कार्यक्रमों की योजना बनाने एवं उनके कार्यान्वयन में सक्रिय रूप से भाग लें।

VISION IAS

कार्य योजना का महत्व

- NAPC संधारणीय विकास लक्ष्यों (SDGs) पर ध्यान देगी एवं उन्हें प्राप्त करने के लिए रोडमैप प्रदान करेगी।
- NAPC बच्चों के लिए उभरती चिंताओं जैसे ऑनलाइन बाल दुर्व्यवहार, आपदाओं और जलवायु परिवर्तन आदि से प्रभावित बच्चों इत्यादि पर ध्यान केन्द्रित करती है।

राष्ट्रीय बाल नीति, 2013 के अनुसार, NAPC द्वारा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय समन्वयन एवं कार्य समूह (NCAG) का निर्माण किया जाएगा। यह कार्य समूह योजना का समन्वयन, कार्यान्वयन एवं निरीक्षण करेगा।

1.3.2. बाल दत्तक ग्रहण

(Child Adoption)

भारत में विश्व की बच्चों की सर्वाधिक आबादी निवास करती है। बच्चों को गोद लेना संतानहीन दंपत्ति और बेघर बच्चों दोनों के लिए एक समाधान हो सकता है। यह शोषणकारी मानी जाने वाली सरोगेसी का एक विकल्प हो सकता है।

1.3.2.1. दत्तक ग्रहण विनियमन 2017

(Adoption Regulations 2017)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- सरकार ने हाल ही में वर्ष 2015 के गोद लेने हेतु दिशा-निर्देशों को प्रतिस्थापित करने के लिए केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) द्वारा गठित दत्तक ग्रहण विनियमन 2017 को अधिसूचित किया। यह दत्तक ग्रहण (गोद लेने की प्रक्रिया) को सरल एवं कारगर बनाने करने में मदद करेगा।

किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 68 केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण को निम्नलिखित कार्यों के लिए उत्तरदायी बनाती है:

- अंतः-देशीय एवं अंतर्राज्यीय दत्तक ग्रहण (एडॉप्शन) को बढ़ावा देना।
- दत्तक ग्रहण के सम्बन्ध में विनियम बनाना।
- हेग कन्वेंशन ऑन इंटर-कंट्री एडॉप्शन के अनुसार अंतर-देशीय दत्तक ग्रहण को बढ़ावा देना।

विनियमन की आवश्यकता

- 2015 के दिशा-निर्देशों में किसी भी प्रकार की विधिक शक्तियाँ नहीं थीं, जबकि 2017 के विनियमनों में प्रवर्तन शक्तियाँ समाहित होंगी।
- ये विनियमन हितधारकों हेतु गोद लेने की प्रक्रिया को स्पष्ट करने, जन्म प्रमाण-पत्रों, पासपोर्ट, याचिकाओं हेतु आवेदन करने के लिए समय-सीमाएँ निर्धारित करेंगे।

विनिमयमन क्या कहता है?

- अंतः-देशीय और अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण प्रक्रियाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है।
- CARA गोद लेने के प्रत्येक मामले को CARINGS के माध्यम से किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के अंतर्गत रिपोर्ट करेगा एवं सुविधाजनक बनाएगा।
- सुरक्षा उपायों के लिए, CARA गोद लिए गए बच्चों के रिकॉर्ड को बनाए रखेगा एवं गोद लेने के बाद का फॉलोअप सुनिश्चित करेगा।

VISION IAS

- वर्तमान में सौतेले माता-पिता (step parent) को किसी कानूनी जिम्मेदारी से बाहर रखते हुए **केवल जैविक माता-पिता या दत्तक माता-पिता को मान्यता** प्रदान की जाती है। यह विनिमयन–
- सौतेले माता-पिता को विधिक रूप से परिभाषित करता है।
- गोद लिए गए बच्चों के जन्म प्रमाण-पत्रों पर उनके (गोद लेने वालों के) नाम लिखे जाने की अनुमति प्रदान करता है।
- जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) पेशेवर या प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं का एक पैनल संधारित करेगी।
- तीन से अधिक बच्चों वाले दम्पत्ति केवल विशेष आवश्यकताओं को छोड़कर गोद लेने के लिए पात्र नहीं होंगे।

विनियमन का महत्व

- यह संवैधानिक अनुच्छेद 44 के अनुसार समान नागरिक संहिता की दिशा में किए जाने वाले सुधारों का भाग है।
- यह दत्तक ग्रहण प्रक्रिया को सुचारु रुप प्रदान करने के लिए CARA एवं दत्तक ग्रहण एजेंसियों द्वारा दत्तक ग्रहण प्रक्रिया में सामना की जाने वाली चुनौतियों का निराकरण करेगा।
- यह संपत्ति के उत्तराधिकार के मामले में दत्तक ग्रहण किए गए बच्चों को विधिक उत्तराधिकारी बनाता है।

चुनौतियाँ

- उचित कार्यान्वयन का अभाव दत्तक ग्रहण प्रक्रिया को बच्चों के लिए शोषक बना सकता है।
- विनियमन की सफलता के लिए कार्यबल का क्षमता निर्माण एक पूर्व आवश्यकता है।

1.3.3. बाल अपहरण

(Child Abduction)

- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (WCD) ने अंतर्राष्ट्रीय बाल अपहरण विधेयक, 2016, के नागरिक पहलुओं का मसौदा तैयार किया गया है
- जिसको यदि मंजूरी दे दी गई तो 16 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे, जिसका "गलत तरीके से स्थान बदला गया है या दूसरे राज्य में भेजा गया है, जिसका वह अभ्यस्त निवासी नहीं है", की शीघ्र वापसी सुनिश्चित होगी।
- विधेयक हेग कन्वेंशन के प्रावधान को लागू करने के लिए एक समर्थकारी विधान प्रदान करेगा।

हेग कन्वेंशन के बारे में

हेग कन्वेंशन का लक्ष्य "बच्चों के गलत तरीके से किये गए अवस्थापन या गलत तरीके से उन्हें रखने के हानिकारक प्रभावों से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बच्चों की रक्षा करना और उनके अभ्यस्त निवास के राज्य में उनकी शीघ्र वापसी सुनिश्चित करना, साथ ही उनके (गृह-राज्य तक) पहुँच के अधिकारों का संरक्षण सुरक्षित करने की प्रक्रियाओं की स्थापना करना है।"

94 देश अंतर्राष्ट्रीय बाल अपहरण के नागरिक पहलुओं पर हेग कन्वेंशन के पक्षकार हैं।

भारत ने हेग कन्वेंशन पर हस्ताक्षर नहीं किया है। कोई देश तब इसका हस्ताक्षरकर्ता बन सकता है जब वहां पर पहले से इस सम्बन्ध में घरेलू कानून लागू हो।

विधेयक की विशेषताएं

- मसौदा विधेयक एक केंद्रीय प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान करता है, जिसका प्राधिकारी केंद्र सरकार का एक अधिकारी होगा, जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव के पद से नीचे का नहीं होगा।
- ऐसे बच्चे की वापसी सुनिश्चित करने में सहायता के लिए केंद्रीय प्राधिकरण के समक्ष आवेदन दिया जा सकेगा।
- केंद्रीय प्राधिकरण को इस प्रकार के सभी मामलों में फैसला करने की शक्ति होगी।

VISION IAS

* केंद्रीय प्राधिकरण जब इस प्रकार के किसी भी मामले की जाँच करेगा तो उसके पास एक सिविल अदालत के समान शक्तियाँ होंगी।
* केंद्रीय प्राधिकरण उस उच्च न्यायालय (फर्स्ट स्ट्राइक प्रिन्सिपल) जिसके क्षेत्राधिकार में बच्चा शारीरिक रूप से मौजूद है या अंतिम बार देखा गया था, में उस बच्चे की वापसी निर्देशित करने वाले आदेशपत्र की प्राप्ति के लिए आवेदन कर सकता है।
* केंद्रीय प्राधिकरण संबंधित राज्य के उपयुक्त अधिकारियों के साथ बच्चे से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी का आदान-प्रदान कर सकता है।
* केंद्रीय प्राधिकरण महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के माध्यम से केन्द्र सरकार को एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

आगे की राह

* विधेयक में अन्य देशों और उनके अनुभव की तर्ज पर आगे और सुधार किया जा सकता है। अमेरिका और यूरोप में, बच्चे का इंटर-पैरेंटल अपहरण एक गंभीर अपराध है, जहां आरोपी माता-पिता अपहरण के आरोप में जेल जा सकते हैं।
* विधेयक इस मुद्दे का सामना कर रहे बच्चों के लिए संकट को खत्म करने की दिशा में एक सही कदम है। इस पर विचार-विमर्श और बहस की जानी चाहिए और शीघ्रातिशीघ्र इसे कानून के रूप में परिवर्तित किया जाना चाहिए।
* 21वें विधि आयोग द्वारा पहली रिपोर्ट में अनुशंसित संशोधनों को इसमें शामिल किया गया है।
* माता पिता के संरक्षण में बच्चे को गलत तरीके से रखने या हटाने के लिए एक वर्ष के कारावास की सजा का प्रावधान भी शामिल है।
* अपराधी में माता-पिता या परिवार, रिश्तेदार और अन्य लोगों में से कोई भी एक हो सकता है।
* बच्चों से संबंधित स्थान या सूचना को जानबूझकर गलत तरीके से प्रस्तुत करना या तथ्यों को छिपाना या बच्चों की सुरक्षित वापसी को स्वेच्छा से रोकना आदि के लिए तीन महीनों की सजा का प्रावधान है।

1.3.4. बाल यौन शोषण

(Child Abuse)

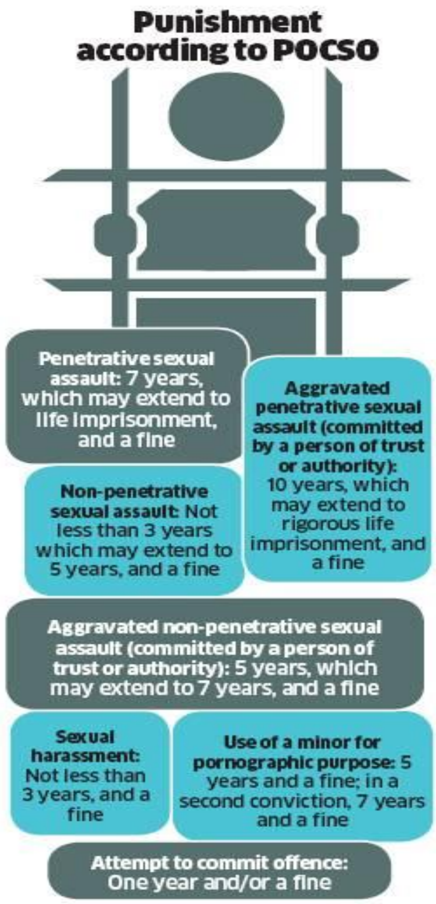

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (NCRB) के आंकड़ों के अनुसार 2001 से 2011 तक कुल 48,338 बच्चों के बलात्कार के मामले दर्ज किये गये थे। भारत में बच्चों के बलात्कार के मामलों में 336% वृद्धि देखी गयी है। 2001 में जहां 2,113 मामले सामने आए थे, वहीं 2011 में 7,112 मामले सामने आए।

मुद्दे:

* ये आंकड़े कम प्रतीत होते हैं क्योंकि बच्चों के बलात्कार के अधिकांश मामलों की रिपोर्ट पुलिस को नहीं की जाती है।
* यह सर्वविदित है कि 10 में से 9 बलात्कार और यौन शोषण पीड़ित के जानकार व्यक्ति द्वारा किये जाते हैं।
* पुलिस, वकील और अप्रशिक्षित अस्पताल कर्मचारियों का असंवेदनशील और असहयोगी दृष्टिकोण अभियोजन और दोषसिद्धि को कठिन बना देता है।
* समर्थन व सहयोग के अभाव में बच्चे नियमित रूप से यौन उत्पीड़न के अनेक रूपों से पीड़ित होते हैं।

बच्चों के बलात्कार के मामले क्यों बढ़ रहे हैं?

रिपोर्टिंग में वृद्धि:

* यौन शोषण और बलात्कार के मामलों की रिपोर्टिंग में वृद्धि हुई है, क्योंकि इससे जुड़े कलंक की भावना में कमी आई है।

- सोशल मीडिया ने बाल यौन शोषण के सम्बन्ध में जागरूकता में वृद्धि की है।
- अनेक सुप्रसिद्ध लोगों (अभिनेत्री कल्कि कोईचिन) द्वारा उनके बचपन में हुए यौन उत्पीड़न के प्रकटन से भी अनेक माता-पिता को ऐसे मामलों की रिपोर्ट करने की प्रेरणा मिली है।

नए आपराधिक कानून:

- **2012 में POCSO** के अधिनियमन और **आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम 2013** ने भी बच्चों के बलात्कार के मामलों की उच्च रिपोर्टिंग में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- अब बलात्कार की परिभाषा में पहले की तुलना में यौन उत्पीड़न के और अधिक रूपों को सम्मिलित किया गया है।
- लड़कियों के लिए यौन सहमति की आयु 16 से बढ़ा कर 18 वर्ष कर दी गयी है। इसका अर्थ है कि लड़कों पर 16 वर्ष की लड़की के साथ सहमति से यौनक्रिया करने पर भी बलात्कार का आरोप लगाया जा सकता है।

बच्चों के बलात्कार के लिए विशेष कानून की आवश्यकता –POCSO:

सरकार ने न्यायिक प्रक्रिया के प्रत्येक स्तर पर बच्चों के हितों की सुरक्षा करते हुए बच्चों के यौन उत्पीड़न, यौन शोषण के मामलों से निपटने हेतु POCSO अधिनियम अधिनियमित किया है।

सुर्ख़ियों में क्यों?

- भारतीय शहरों में बच्चों के उत्पीड़न और बलात्कार के मामलों में वृद्धि देखी जा रही है।
- 2015 में मद्रास उच्च न्यायालय ने बाल यौन उत्पीड़न के दोषियों को बधिया (नपुंसक) करने का सुझाव केंद्र सरकार को दिया था।
- परिणामस्वरूप, सर्वोच्च न्यायालय ने संसद को ऐसे अपराधों के लिए कठोरतम दंड के लिए कानून बनाने पर विचार करने का परामर्श दिया।

POCSO अधिनियम का महत्त्व

- यह बच्चों के विरुद्ध यौन अपराधों को एक एकमात्र परिभाषा प्रदान करता है। साथ ही *यूनाइटेड नेशन्स कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड* के एक हस्ताक्षरकर्ता के रूप में भारत के अनिवार्य दायित्वों को पूरा करता है। भारत ने 11 दिसम्बर 1992 में इस कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किये थे।
- यह अपने प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए *कमीशन्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, 2005* के तहत राष्ट्रीय और राज्यों के आयोगों के गठन का प्रावधान करता है।

चुनौतियाँ:

- सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2013 में दिए गए निर्देश के बावजूद भी किसी भी **नियामक या निगरानी निकाय को** क्रियाशील नहीं कहा जा सकता है।
- पुलिस या अन्य पक्षों द्वारा POCSO के प्रावधानों को उचित ढंग से लागू ही नहीं किया गया है। परिणामस्वरूप इतने कठोर कानून होते हुए भी बाल-अपराधों के दोषी बच निकलते हैं। पुलिस द्वारा कानून को लागू करने के लिए अपेक्षाकृत अधिक जागरूकता, प्रशिक्षण और जानकारी की आवश्यकता है।
- भारतीय दंड संहिता और सूचना प्राद्योगिकी (IT) अधिनियम तथाकथित "अश्लील सामग्री" के निर्माण या प्रसार को प्रतिबंधित करते हैं तथापि अश्लील सामग्री को प्रतिबंधित करने हेतु कोई स्पष्ट कानून नहीं है।
- यदि कोई अपराधी IT अधिनियम के अंतर्गत दोषी पाया जाता है तो अश्लील सामग्री का इलेक्ट्रॉनिक प्रकाशन और संचरण करने पर तीन वर्ष के कारावास का प्रावधान है।

सरकार द्वारा उठाये जा रहे कुछ अन्य कदमों की चर्चा निम्नलिखित है:

चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर प्रतिबन्ध:

सर्वोच्च न्यायालय का मत:

- चाइल्ड पोर्नोग्राफी को **रोकने के उपायों और साधनों का सुझाव देने के लिए** केंद्र सरकार को एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना चाहिए।
- अबोध बालकों को इस दर्दनाक स्थिति का शिकार नहीं बनाया जा सकता है और एक **राष्ट्र स्वतन्त्रता या वाक् स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति-स्वातंत्र्य के नाम पर बच्चों पर कोई प्रयोग नहीं कर सकता।**
- यह कहा गया है कि **कला और अश्लीलता के बीच एक विभाजन रेखा होनी** चाहिए और चाइल्ड पोर्नोग्राफी को वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता के नाम पर उचित नहीं ठहराया जा सकता।
- सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि **पोर्नोग्राफी से सम्बंधित मानदंडों को निर्धारित किया जाना चाहिए** तथा अन्य मामलों में पहले ही यह निर्णय दिया गया है कि अनुच्छेद 19 (1)(a) के अंतर्गत प्रदान की गयी वाक् स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति-स्वातंत्र्य **"अनन्य नहीं है"** और यह युक्तियुक्त प्रतिबन्धों के अधीन हैं।
- सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को एडल्ट और चाइल्ड पोर्नोग्राफी से सम्बन्धित वेबसाइट्स पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए विशेषज्ञों से परामर्श लेने के लिए तथा **राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) से सुझाव लेने के लिए कहा है।**

आरम्भ पहल:

- इन्टरनेट के माध्यम से बच्चों का यौन शोषण रोकने वाली और विद्यमान चाइल्ड पोर्नोग्राफी को इंटरनेट से हटाने वाली यह देश की पहली हॉटलाइन है।
- **लक्ष्य:** ऑनलाइन चाइल्ड पोर्नोग्राफी के कोढ़ को समाप्त करना और ऑनलाइन सामग्रियों में बाल संरक्षण के कार्य को आगे बढ़ाना।
- यह देश में बाल संरक्षण के लिए कार्य कर रहे संगठनो और व्यक्तियों का एक नेटवर्क है। इसने UK स्थित इन्टरनेट वाच फाऊंडेशन (IWF) के सहयोग से कार्य किया है।

सरकार का मत:

- एडिशनल सोलिसिटर जनरल ने कहा है कि इंटरपोल और CBI जैसी एजेंसियों ने विशेष रूप से चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़ी साइट्स को बंद करने के लिए आवश्यक कदम उठाये हैं।
- सरकार ने यह भी कहा है कि वह सभी पोर्नोग्राफी को बंद नहीं कर सकती (और न ही पोर्नोग्राफी को विनियमित कर सकती है), परन्तु केवल चाइल्ड पोर्नोग्राफी को बंद कर सकती है।
- चाइल्ड पोर्नोग्राफी को प्रतिबंधित किया जा सकता है परन्तु पोर्नोग्राफी से जुड़ी वेबसाइट्स को प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये किसी देश के क्षेत्राधिकार में नहीं हैं।

अश्लील सामग्री को प्रतिबंधित करना कठिन क्यों है?

- ऐसी वेबसाइटस के URLs को अवरुद्ध करने की विधि प्रायः अप्रभावी है क्योंकि ये केवल अपने URLs बदल बदल कर कार्य करते रहते हैं।
- अधिकांश सर्वर भारत के बाहर स्थित हैं।

1.3.5. बाल/किशोर अपराध

(Juvenile Delinquency)

किशोर अपराध बच्चों और किशोरों के अनेक प्रकार के अस्वीकृत व्यवहारों को दर्शाता है और जिसके लिए सार्वजनिक हित में थोड़ी डांट-फटकार, सजा या सुधारात्मक उपायों को उचित माना जाता है। इसमें किशोरों द्वारा किये गये कानूनी और सामाजिक मानदंडों के विभिन्न उल्लंघन तथा छोटे-मोटे अपराधों से लेकर गम्भीर अपराध तक सम्मिलित हैं।

VISION IAS

किशोर अपराधों के कारण:

- **व्यक्तिगत कारण–** इसमें असुरक्षा, भय, स्व-नियन्त्रण का भाव, भावनात्मक द्वंद आदि जैसे कुछ व्यक्तिगत लक्षण सम्मिलित हैं।
- **पारिवारिक कारण–** विभाजित परिवार, पिता की कार्य सम्बन्धी आदतें, माता-पिता के बीच सम्बन्ध, भाई-बहनों का प्यार, पारिवारिक स्तर, पिता का अनुशासन और स्नेह आदि एक बालक के आचरण को परिभाषित करने में बहुत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शहरीकरण, वैश्वीकरण और सांस्कृतिक परिवर्तनों से इन कारकों में परिवर्तन आ रहे हैं।
- **विद्यालय और सहकर्मी समूह सम्बन्ध** –परिवार के पश्चात, बालक विद्यालय में अपने मित्रों के साथ अपना अधिकांश समय व्यतीत करता है। बालकों में मूल्यों की स्थापना एवं वृद्धि करने की परिवार की भूमिका में यह पूरक भूमिका निभा सकता है।
- **सिनेमा** –सिनेमा और टेलीविजन, हाल ही के दिनों में बच्चों के लिए एक सशक्त आकर्षण के रूप में उभरे हैं। इसलिए इनकी सामग्री को बच्चों की आवश्यकता के अनुरूप नियंत्रित किया जाना चाहिए।
- **निरंतर बेरोजगारी और निम्न आय** –इससे किसी भी प्रकार के आपराधिक और अनैतिक व्यवहार में उनकी संलिप्तता बढ़ने की सम्भावना रहती है।

युवा अपराधों के साथ निम्नलिखित परिणाम जुड़े रहते हैं:

- **अच्छे आर्थिक अवसरों का अभाव** –उनके अतीत का रिकॉर्ड उनके लिए अच्छे रोजगार, आवास और स्थिर भविष्य की सम्भावनाओं को क्षति पहुंचा सकता है।
- **निम्न सामाजिक स्थिति**–इनके परिवारों को समाज में हेय दृष्टि से देखा जाता है , जिसके परिणामस्वरूप पारिवारिक तनाव और सामाजिक संघर्ष हो सकते हैं।
- **अपराध दर में वृद्धि** –यदि इन अपराधों को रोकने के लिए समय रहते सुधारात्मक उपाय नहीं किए गए तो ऐसे ही परिवारों या इनके पड़ोस से ये अस्वीकार्य मामले आगे बढ़ सकते हैं।

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015:

मुख्य प्रावधान:

- इस अधिनियम ने किशोर न्याय (देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2000 का स्थान लिया है।
- यह बच्चों के कानून के साथ संघर्ष की स्थिति तथा उनकी देखभाल और संरक्षण की आवश्यकताओं को सम्बोधित करता है।
- किशोर न्याय बोर्ड (JJB) और बाल कल्याण समितियों (CWC) का गठन प्रत्येक जिले में किया जायेगा।
- JJB यह निर्धारित करने के लिए प्राथमिक जाँच करेगा कि क्या किशोर अपराधी को पुनर्वास के लिए भेजा जाना चाहिए या उस पर एक वयस्क की भांति अभियोग चलाया जाए।
- CWC उन बच्चों की संस्थागत देखभाल की आवश्यकता को निर्धारित करेगा, जिन्हें देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता है।
- 16 से 18 वर्ष के आयु समूह में जघन्य अपराध करने वाले बाल अपराधियों से निपटने के विशेष प्रावधान किये गये हैं।
- प्रारम्भिक मूल्यांकन के पश्चात इस प्रकार के बच्चों के जघन्य अपराधों के मामले को बाल न्यायालय (सत्र न्यायालय) हस्तांतरित करने का विकल्प किशोर न्याय बोर्ड को दिया गया है।
- केन्द्रीय दत्तक संसाधन प्राधिकरण (CARA) को एक वैधानिक निकाय का दर्जा दिया गया था ताकि इसे अपने कार्य को अधिक प्रभावी ढंग से करने के लिए सक्षम किया जा सके। इससे अनाथ, परित्यक्त और आत्मसमर्पण करने वाले बच्चों को गोद लेने की प्रक्रिया को व्यवस्थित करने में सहायता प्राप्त होगी।

- बच्चों के विरुद्ध कई नये अपराध, जो अब तक किसी भी कानून में पर्याप्त रूप से कवर नही किये गये थे, इस अधिनियम में सम्मलित किये गये हैं। इसमें सम्मलित हैं:
  - किसी भी उद्देश्य से बच्चों की बिक्री और खरीद, जिसमे गैर-कानूनी ढंग से गोद लेना, बाल देखभाल संस्थानों में शारीरिक दंड भी सम्मिलित हैं।
  - आतंकवादी समूहों द्वारा बच्चों का उपयोग
  - विकलांग बच्चों के विरुद्ध अपराध
  - बच्चों का अपहरण और बहला फुसला कर ले जाना।

समीक्षात्मक विश्लेषण:

- JJ अधिनियम राज्य में किशोर बन्दियों को शिक्षा, कौशल विकास, परामर्श, व्यवहार संशोधन चिकित्सा और मनोवैज्ञानिक सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है। परन्तु भारत के किशोर गृहों में अभी इस प्रकार की गतिविधियों के लिए विशेषज्ञता उपलब्ध नहीं है।
- किशोरों पर वयस्कों के रूप में अभियोग चलाने पर अभी विचार बहुत भिन्न हैं। कुछ लोगों का तर्क है कि वर्तमान कानून ने जघन्य अपराध करने वाले किशोरों के लिए निवारक की भाँति कार्य नहीं किया है। एक अन्य मत के अनुसार सुधारवादी दृष्टिकोण से अपराधों को दोहराने की सम्भावना कम हो जाएगी।
- इसके अतिरिक्त, सामाजिक कार्यकर्ताओं के अनुभव के अनुसार वयस्क कारागार बंदियों के सुधार पर केन्द्रित नहीं होता और अधिकांश बंदियों के दुबारा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होने के उदाहरण मिलते हैं।

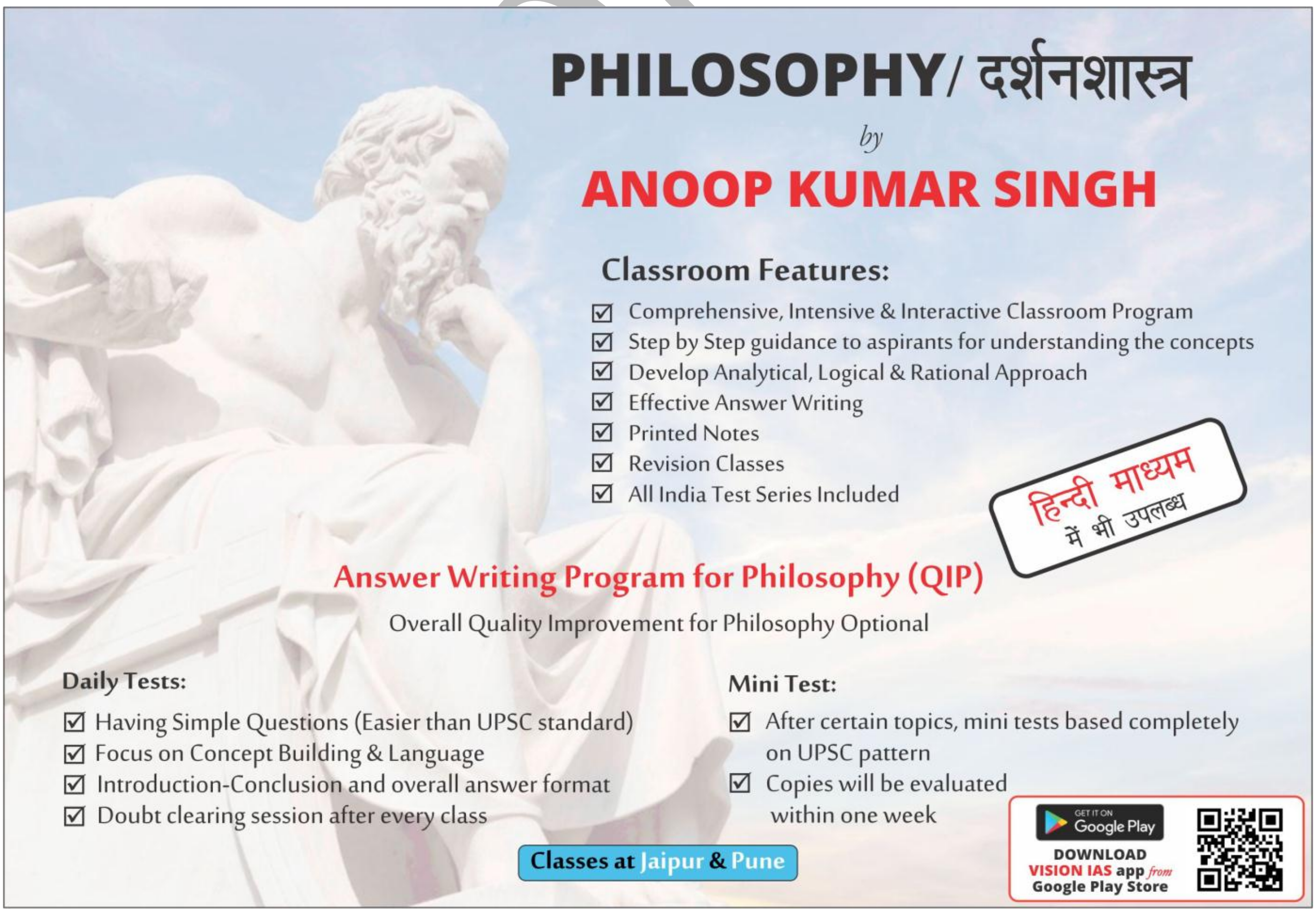

- यह यूनाइटेड नेशन्स कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड का उल्लंघन है। इस कन्वेंशन के तहत सभी हस्ताक्षरकर्ता देशों को 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के साथ समान रूप से व्यवहार किया जाना आवश्यक है। यद्यपि UK, फ़्रांस, जर्मनी जैसे हस्ताक्षरकर्ता ऐसा ही करते हैं।
- सर्वोच्च न्यायालय ने किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और सरंक्षण) अधिनियम 2015 के अंतर्गत "बच्चों की देखभाल और सरंक्षण की आवश्यकता" की परिभाषा की व्यापक व्याख्या करने का निर्देश दिया है, क्योंकि यह विशेष रूप से पीड़ित बच्चों जैसे यौन उत्पीड़न और बाल तस्करी को कवर नहीं करता है।

आगे की राह

JJ अधिनियम का अधिनियमन अपेक्षाकृत अधिक आसान भाग था। यदि दंडात्मक सजा के स्थान पर सुधारवादी वायदों को पूरा किया जाना है तो, कल्याणकारी कार्यों के कार्यान्वयन की स्पष्ट कमियों को केंद्र और राज्य सरकारों को मिल कर सम्बोधित करना चाहिए।

1.3.6. बाल विवाह

(Child Marriage)

सुर्ख़ियों में क्यों?

2011 की जनगणना से पता चलता है कि भारत में बड़े पैमाने पर बाल विवाह होते हैं; लगभग एक तिहाई विवाहित महिलाओं की शादी 18 वर्ष से कम की आयु में हो गयी थी।

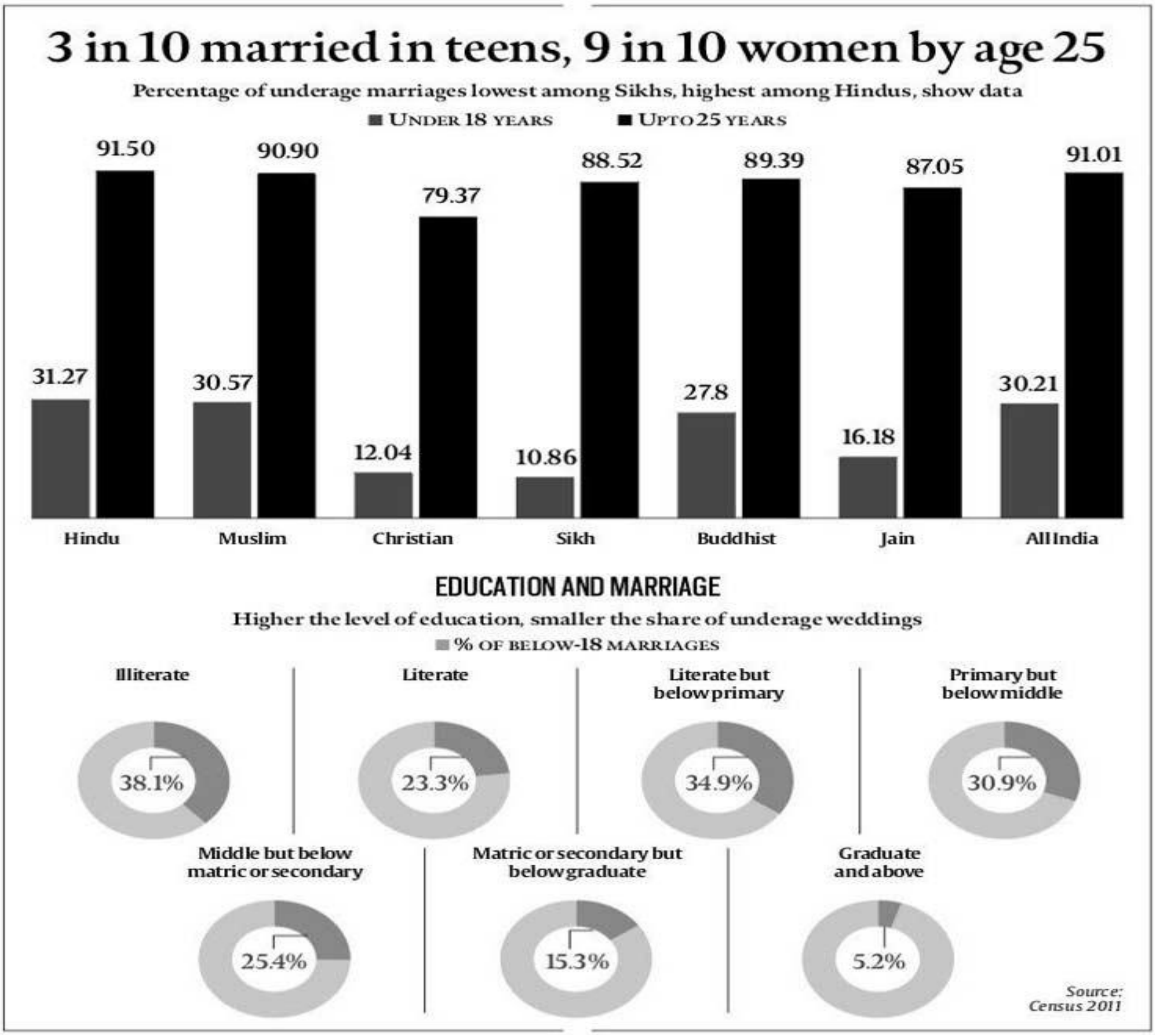

मुख्य निष्कर्ष

- 78.5 लाख लड़कियों की शादी 10 वर्ष से कम की आयु में ही कर दी गयी थी। यह 2011 तक विवाहित महिलाओं का 2.3% है।
- 91% विवाहित महिलाओं की शादी 25 वर्ष की उम्र तक हो गयी थी।
- 30.2% विवाहित महिलाओं (10.3 करोड़) की शादी 18 वर्ष की उम्र से पहले कर दी गयी थी।
- **2001 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार** 43.5% विवाहित महिलाओं की शादी 18 वर्ष की उम्र से पहले कर दी गयी थी।

धर्म के अनुसार आँकड़े

- 31.3% विवाहित हिन्दू महिलाओं की शादी 18 वर्ष की उम्र से पहले हो गयी थी, 2001 की जनगणना में यह आंकड़ा 45.1% था।
- 30.6% विवाहित मुस्लिम महिलाओं की शादी 18 वर्ष की उम्र से पहले हो गयी थी, 2001 की जनगणना में यह आंकड़ा 43.1% था।
- 12% विवाहित ईसाई महिलाओं और 10.9% विवाहित सिख महिलाओं की शादी 18 वर्ष की उम्र से पहले कर दी गयी थी।
- **साक्षरता**: 38.1% अनपढ़ विवाहित महिलाओं की शादी 18 वर्ष से कम की आयु में हो गयी थी, जबकि साक्षर विवाहित महिलाओं के लिए यह प्रतिशत 23.3% है।

मूलभूत तथ्य

- शहरी क्षेत्रों (29%) की तुलना में ग्रामीण इलाकों में बाल विवाह (48%) अधिक प्रचलित है।
- सामान्य तौर पर, बाल विवाह की दर भारत के मध्य और पश्चिमी हिस्सों में सबसे अधिक है और देश के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में यह दर कम है।
- बिहार और राजस्थान जैसे कुछ राज्यों में लगभग 60% बाल विवाह होते हैं।
- बाल विवाह की राष्ट्रीय औसत से अधिक दर वाले अन्य राज्यः झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा।
- हालांकि, जिन राज्यों में बाल विवाह कम प्रचलित है वहाँ के कुछ निश्चित इलाकों मे उच्च बाल विवाह की घटना पाई जाती हैं।

बाल-विवाह के कारण

- **शिक्षा के अवसर:** इन क्षेत्रों में शिक्षा गुणवत्ता विहीन और अवसंरचना अपर्याप्त है तथा परिवहन का समुचित प्रबंध नहीं है।.
- प्रोहिबिशन ऑफ़ चाइल्ड मैरिज एक्ट (बाल विवाह निषेध अधिनियम), 2006 (PCMA) के बारे में समाज में व्यापक जागरूकता विद्यमान है और लोग यह भी जानते हैं कि बाल विवाह अवैध है। इसके बावजूद, व्यक्तिगत स्तर पर लोग परम्पराओं और सामाजिक मानदंडों को कानून और वैधानिक संस्थाओं से अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। यही कारण है कि बहुत कम व्यक्ति ही बाल-विवाह के मामले की रिपोर्ट सरकार को करते हैं।
- लड़कियों को एक बोझ के रूप में देखा जाता है और यह भी माना जाता है कि परिवार में उनकी आर्थिक भूमिका नगण्य है।
- लड़कियों की उम्र और उनका शैक्षणिक स्तर बढ़ने के साथ ही उनके विवाह में माँगे जाने वाले **दहेज़ की मात्रा भी बढ़ जाती है**। दहेज़ प्रथा की इस विषम और शोषक परिस्थिति से बचने के लिए भी लोग अपनी बेटियों का विवाह बचपन में ही कर देने के लिए विवश हो रहे हैं।
- बाल-विवाह निषेध के मामलों में कानून का प्रवर्तन सापेक्षिक रूप से कमजोर है।

बाल विवाह के दुष्प्रभाव

- समय पूर्व विवाह बच्चों को शिक्षा के साथ-साथ भविष्य में बेहतर अवसर से भी से वंचित करता है।
- यह बच्चे के निर्णय लेने की स्वतंत्रता को सीमित करता है और गरीबी के दुष्चक्र को बढाता है।
- बाल विवाह अक्सर विभिन्न स्वास्थ्य जोखिमों से जुड़ा होता है, जिनमें कम की दुल्हन की गर्भ निारोधक और प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं और सूचनाओं तक सीमित पहुंच आदि।
- इसमें से अधिकाँश को मनोवैज्ञानिक तथा शारीरिक रूप से परिपक्व होने से पहले लगातार बनने वाले संबंधों , गर्भधारण का दोहराव एवं समय से पूर्व प्रसव आदि का सामना करना पड़ता हैं।
- घरेलू हिंसा ऐसे वातावरण में होती है जहां महिलाए अशक्त होती है और महत्वपूर्ण संसाधनों और निर्णय लेने की शक्तियों तक उनकी पहुंच सीमित होती है।
- बाल विवाह लड़कों और लड़कियों के अधिकारों का उल्लंघन करती है और सतत विकास प्राप्त करने के प्रयासों को कमज़ोर करती है।
- बाल-विवाह समाज को समग्र रूप में नकारात्मक ढंग से प्रभावित करता है। बाल-विवाह **निर्धनता-चक्र** को और मजबूत बनाता है। यह लैंगिक भेदभाव, निरक्षरता तथा कुपोषण के साथ ही शिशु व मातृ मृत्यु दर में भी वृद्धि करता है।

सरकार की रणनीति और कार्यवाही

- *प्रोहिबिशन ऑफ़ चाइल्ड मैरिज एक्ट* (बाल-विवाह निषेध अधिनियम), 2006 के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं और 21 वर्ष से कम आयु के बालकों का विवाह ग़ैर-कानूनी है।
- बाल विवाह एक दंडनीय अपराध है। इसमें एक लाख रुपये तक का जुर्माना, दो वर्ष तक के कारावास की सजा या दोनों एक साथ भी हो सकते हैं। यह **एक असंज्ञेय और ग़ैर-ज़मानती अपराध है।**
- दहेज़ को 1961 में ***द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट* (दहेज़ निरोधक अधिनियम)** के द्वारा प्रतिबंधित किया गया था। इसके तहत जुर्माने के रूप में 15,000 रुपये या दहेज़ की राशि में से जो भी अधिक हो और छः माह से 5 वर्ष तक के कारावास का प्रावधान है

इनके अतिरिक्त **जुवेनाइल जस्टिस (केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ़ चिल्ड्रेन) एक्ट, 2000, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट (घरेलू हिंसा अधिनियम), 2005 और प्रोटेक्शन ऑफ़ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ओफेंसेज एक्ट, 2012** कुछ अन्य कानून हैं जो किसी बाल-वधू को संरक्षण प्रदान करते हैं।

- हाल ही में, UNFPA और UNICEF के सहयोग से राजस्थान सरकार ने राज्य में बाल विवाहों के पूर्ण उन्मूलन के लिए जिला स्तर पर "साझा अभियान" नामक एक अभियान यात्रा की शुरूआत की हैं।
  - राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग (NCPCR) के अनुसंधान से पता चला है कि राजस्थान में बाल विवाहों की सबसे अधिक घटनाएं दर्ज हुई हैं।
  - यह यात्रा राज्य को बाल विवाह-मुक्त बनाने के लिए सभी समुदायों को एक एकीकृतमंच पर लाएगी।

VISION IAS

आगे की राह

- एक समन्वित दृष्टिकोण के द्वारा भारत में बाल विवाह को रोकने के लिए प्रगतिशील प्रयासों को लागू करना जरूरी है -जहां बच्चों के लिए वैकल्पिक अवसरों की उपलब्धता सामाजिक मानदंडों को बदलने की प्रक्रिया का समर्थन करे तथा साथ ही एक सक्रिय वातावरण और संरचनात्मक सुधार सहित कानून के प्रभावी कार्यान्वयन भी सुनिश्चित किया जा सके।
- एक प्रभावी दृष्टिकोण लोगों को परिवार और सामुदायिक स्तर पर लक्षित करेगा जैसे - गैर-सरकारी संगठन, विभिन्न स्तरों पर संचालित समूह और संस्था स्तर पर काम कर रहे सरकारी अधिकारी।

1.3.7. बाल श्रम

(Child Labour)

2001 की जनगणना के अनुसार, भारत में 5 से 14 वर्ष की आयु के बीच के 12.6 मिलियन बाल श्रमिक है| 2011 में, यह संख्या गिरकर 4.35 मिलियन हो गई। 2009-10 के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय के सर्वेक्षण के अनुसार यह संख्या 4.98 मिलियन थी।

1.3.7.1 बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2016

(Child Labour (Prohibition and Regulation) Amendment Bill, 2016)

मुख्य विशेषताएं

- यह विधेयक बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 में संशोधन प्रस्तावित करता है, जो 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को 83 प्रकार के खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं में नियोजन पर प्रतिबंध लगाता है।
- **प्रमुख संशोधन:**
    - विधेयक में 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों के रोजगार में नियोजन पर लगे हुए प्रतिबंध का सभी क्षेत्रों में विस्तार किया गया है।
    - 14-18 वर्ष के किशोरों के खतरनाक व्यवसायों में नियोजन पर प्रतिबंध लगाया गया है और
    - इन प्रावधानों के उल्लंघन पर अधिक कठोर सजा; छह महीने से दो वर्ष तक की कैद और 50,000 रुपए तक जुर्माने का प्रावधान।
- विधेयक पहले निर्धारित किये गए 83 खतरनाक व्यवसायों की सूची को सिर्फ तीन तक सीमित करता है। इनके तहत खनन, ज्वलनशील पदार्थ तथा कारखाना अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित खतरनाक प्रक्रियाएँ शामिल होंगी जिन्हें केंद्र द्वारा चिन्हित किया जायेगा।
- विधेयक में बच्चों के पुनर्वास के लिए पुनर्वास कोष निर्मित किए जाने का प्रस्ताव है, जिसे पहले ही स्थापित किया जा चुका है।

सकारात्मक पहलू

- विधेयक अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) कन्वेंशन के प्रावधानों के अनुरूप है।
- चूंकि इसमें 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों के बाल श्रम पर पूर्ण प्रतिबंध है अतः वे नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 के द्वारा प्रदत अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के अधिकार को प्राप्त कर सकते हैं।
- विधेयक में पारिवारिक उद्यमों की प्रकृति का विशेष ध्यान रखा गया है जहां बच्चे विविध तरीकों से अपने माता-पिता की मदद करते हैं।

VISION IAS

नकारात्मक पहलू

- 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को विद्यालयी अध्ययन के घंटों तथा मनोरंजन और खेल के उपरांत एवं छुट्टियों के दौरान परिवार के कारोबार में काम करने की अनुमति दी जाएगी। इस प्रावधान का अप्रत्यक्ष रूप से बालकों के शोषण के लिए दुरुपयोग किया जा सकता है।
- 'परिवार' की परिभाषा को परिभाषित नहीं किया गया है। इस सन्दर्भ में यूनिसेफ इंडिया की टिप्पणी महत्वपूर्ण है कि, यह अधिक बच्चों को अविनियमित परिस्थितियों में काम करने के लिए विवश कर सकता है।
- यहां तक कि पारिवारिक उद्यमों में कौशल विकास संबंधी क्रियाकलापों का कोई जिक्र नहीं किया गया है। यह ज्यादातर बालकों की इच्छा के विरुद्ध है। अतः इस बात का ध्यान रखना होगा कि कानून को लागू करने के दौरान कानून की भावना का उल्लंघन न हो।
- माता-पिता और अभिभावक, जो बाल श्रम के लिए बालकों को विवश करते हैं, के खिलाफ दंड संबंधी प्रावधानों को नरम बनाना कानून की भावना के विपरीत जा सकता है।

अन्य महत्त्वपूर्ण बिंदु

- 2001 से 2011 की जनगणना के बीच (5-14 वर्ष के बीच के आयु वर्ग के) बाल श्रमिकों की संख्या में 65% की कमी हुई है तथा यह संख्या 1.26 करोड़ से घटकर 82.2 लाख हो गयी है। यह कमी आरटीई, मनरेगा, मध्याह्न भोजन योजना जैसे कार्यक्रमों के कारण हुई है। अतः समग्र विकास तथा सर्वसम्मत दृष्टिकोण के निर्माण के माध्यम से ही बाल श्रम की इस बीमारी से निजात पाया जा सकता है। बाल श्रम विधेयक और जुर्माना तो केवल कुछ उपाय मात्र हैं।
- कुल बाल श्रमिकों का लगभग 50% केवल बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में कार्यरत हैं। 20% से अधिक अकेले उत्तर प्रदेश में है। इसलिए इन राज्यों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

1.3.7.2. राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना

(National Child Labour Project) (NCLP)

सुर्ख़ियों में क्यों?

कैलाश सत्यार्थी ने **राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना** के बजट में केवल 8% की वृद्धि पर निराशा व्यक्त की है।

यह श्रम मंत्रालय की एक परियोजना है। इसका मूल उद्देश्य रोजगार से हटाये गये बच्चों का उपयुक्त पुनर्वास करना है जिससे पहले से ज्ञात बालश्रम के सघन क्षेत्रों में बालश्रम की व्यापकता में कमी लाई जा सके।

NCLP निम्नलिखित के लिए प्रयासरत है:

- **सभी प्रकार के बालश्रम** का निम्न उपायों से उन्मूलन:
    - परियोजना क्षेत्र में बालश्रम की पहचान करना और सभी बच्चों को वहां से हटाना।
    - काम से हटाये गए बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा में शामिल करना और व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए तैयार करना।
    - बच्चों और उनके परिवारों के लाभ के लिए विभिन्न सरकारी विभागों/एजेंसियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी सेवाओं की पहुँच सुनिश्चित करना।
- खतरनाक व्यवसायों से सभी **बाल श्रमिकों को हटाना** और व्यावसायिक प्रशिक्षण के अवसरों को सुगम बना कर, वर्तमान कौशल विकास की योजनाओं के माध्यम से उनकी कुशलता का दोहन अन्य उपयुक्त व्यवसायों के लिए करना।

- सभी हितधारकों और लक्षित समुदायों के बीच **जागरूकता बढ़ाना** और 'बाल श्रम' और 'खतरनाक व्यवसायों/प्रक्रियाओं में बाल श्रमिकों को काम पर लगाने' के विरुद्ध NCLP और अन्य पदाधिकारियों को दिशा निर्देश देना।
- **बाल श्रम मॉनिटरिंग, ट्रैकिंग और रिपोर्टिंग सिस्टम** का निर्माण।

लक्षित समूह

- पहचान किए गए लक्षित क्षेत्र में **14 वर्ष से कम आयु** के सभी बाल श्रमिक।
- लक्षित क्षेत्र में **खतरनाक व्यवसायों में 18 वर्ष से कम** के काम पर लगाये गये बाल श्रमिक।
- पहचान किए गए लक्षित क्षेत्र में बाल श्रमिकों के परिवार।

कार्यनीति

- लक्षित क्षेत्र में एक ऐसा सक्षम माहौल बनाना, जहाँ विभिन्न उपायों के द्वारा बच्चे विद्यालयों में प्रवेश के लिए और काम से दूर रहने के लिए प्रेरित हों।
- परिवारों के आय स्तर में सुधार के लिए उन्हें अवसर प्रदान करना।
- इसका कार्यान्वयन राज्य, जिला प्रशासन और सिविल सोसाइटी के बेहतर समन्वय से किया जाएगा।
- बालश्रम के उन्मूलन का संयुक्त उत्तरदायित्व रोजगार एवं श्रम मन्त्रालय और राज्य सरकारों का है।

अपेक्षित परिणाम:

- सभी प्रकार के बालश्रमों की पहचान और उन्मूलन में योगदान।
- लक्षित क्षेत्र में खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं में कार्यरत किशोरों की पहचान करना और उन्हें वहां से हटाना।
- बालश्रम से हटाये गए सभी बच्चों को सफलतापूर्वक नियमित विद्यालयों की मुख्य धारा में लाना और NCLPs के माध्यम से पुनर्वासन करना।
- खतरनाक व्यवसायों से हटाये गए उन किशोरों को, जो कौशल प्रशिक्षण से लाभान्वित हुए हैं, जहाँ भी आवश्यक हो, कानूनी रूप से स्वीकृत व्यवसायों से उन्हें सम्बद्ध करना।
- सोशल मोबिलाइजेशन कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप अपेक्षाकृत अधिक् बेहतर जानकारी वाले समुदायों , लक्षित समूह और जनमानस को बालश्रम के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक बनाना।
- प्रशिक्षण के द्वारा NCLP कर्मचारियों और अन्य पदाधिकारियों की बालश्रम के मुद्दे को सुलझाने के लिए क्षमता का निर्माण करना।

100 मिलियन के लिए 100 मिलियन

यह कैलाश सत्यार्थी के ***चिल्ड्रेन फाउंडेशन*** संस्था द्वारा आयोजित अभियान है जिसका उद्देश्य वंचित बच्चों के लिए सम्पूर्ण विश्व में 100 मिलियन युवाओं को संगठित करना है| इसके माध्यम से अगले 5 वर्षों में बाल मजदूरी, बाल दासता, बच्चों के प्रति हिंसा को समाप्त किया जायेगा तथा बाल अधिकारों को प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि प्रत्येक बच्चा सुरक्षित, स्वतंत्र और शिक्षित हो सके।

1.3.7.3. ILO कन्वेंशन की अभिपुष्टि

(Ratification of ILO Convention)

भारत ने हाल ही में ILO कन्वेंशन 182 जो कि बालश्रम के निकृष्टतम रूप से सम्बंधित है और ILO कन्वेंशन 138 जो कि नियोजन की न्यूनतम आयु से सम्बंधित है, इन दोनों की अभिपुष्टि की है। बाल श्रम को समाप्त करने के दिशा में इनके निम्न प्रभाव होंगे-

- **बाल शोषण पर जीरो टॉलरेंस –** सरकार बच्चों के स्वास्थ्य, सुरक्षा या मनोबल को क्षति पहुँचाने वाले निकृष्टतम प्रकार के बाल श्रम पर प्रतिबंध और उन्मूलन के लिए त्वरित,आवश्यक और प्रभावी उपाय करेगी।
- **न्यूनतम आयु निर्धारण –** इसके लिए भारत को यह सुनिश्चित करने की आवश्यता है कि निश्चित आयु सीमा से नीचे किसी को भी किसी भी प्रकार के व्यवसाय में बच्चों को (हल्के कार्य और कलात्मक प्रदर्शन को छोड़ कर) काम के लिए भर्ती नहीं किया जा सकता।
- **बाल श्रम के निकृष्टतम प्रकारों को प्रतिबंधित करना –**भारत को बाल श्रम के निकृष्टतम रूपो यथा: दासता, ऋणग्रस्त करके बंधुआ मजदूरी, गुलामी या बलात श्रम आदि की प्रतिबंधित करने की आवश्यकता है।
- बालश्रम समाप्ति के अन्य कई सकारात्मक परिणाम आये हैं, जैसे स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या में गिरावट, आर्थिक भूमिका निर्वहन हेतु बच्चों पर तनाव में कमी, खेलने के लिए पर्याप्त समय, सुरक्षित बचपन का अधिकार आदि। परन्तु, बच्चों के विरुद्ध शोषण की समाप्ति की दिशा में अंतिम सफलता सामाजिक सहानुभूति, राजनीतिक इच्छाशक्ति और बच्चो के विकास और संरक्षण पर संसाधनों में निवेश पर निर्भर करती है। इसका केवल तभी समाधान हो सकता है जब बच्चो को बालश्रम की ओर प्रवृत्त करने वाले कारणों जैसे निर्धनता, बेरोजगारी, सामाजिक सुरक्षा का अभाव, कानूनों का अपर्याप्त प्रवर्तन आदि हल हो जायेंगे।

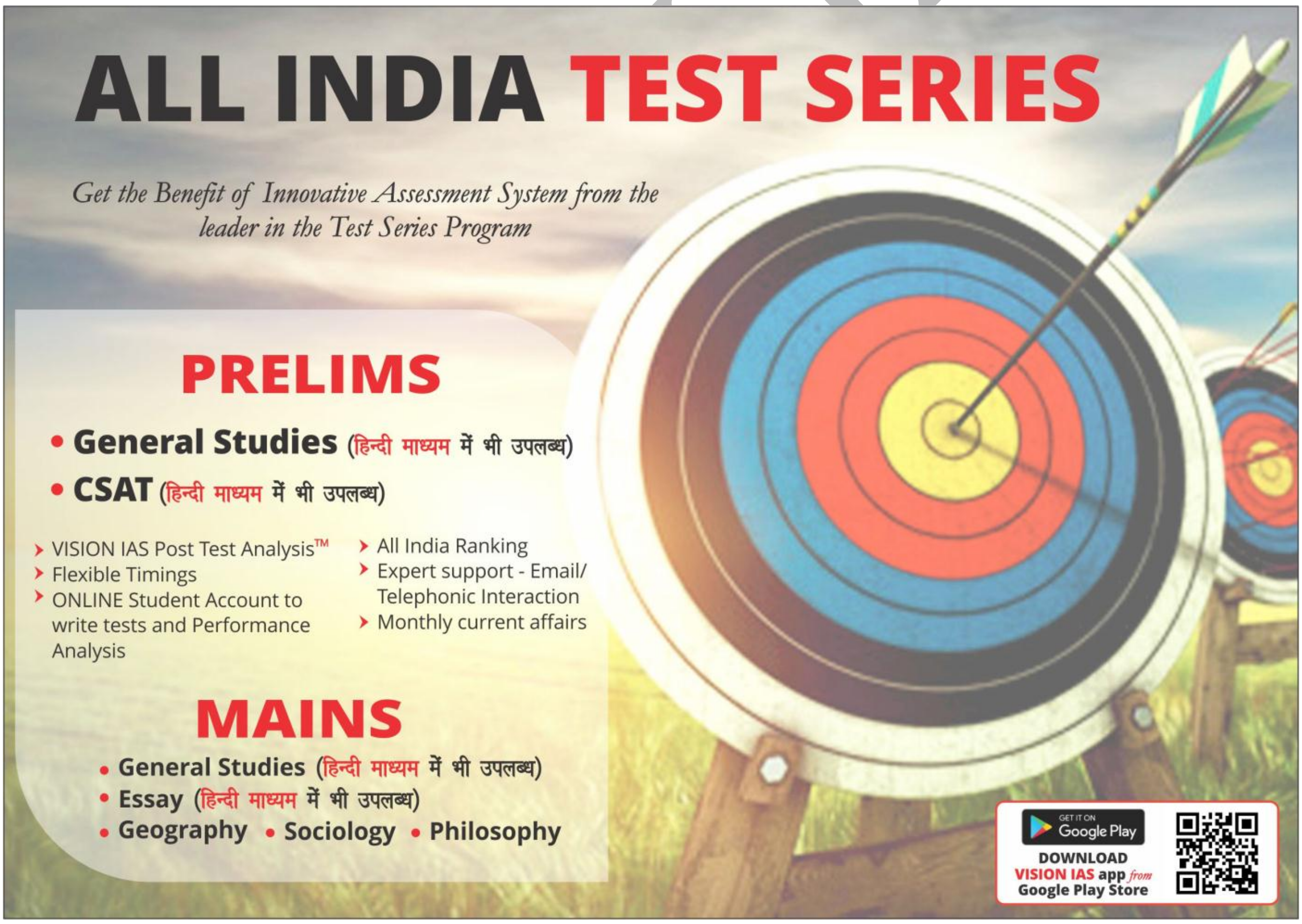

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.